Par. S. 17. II. 29. 53
285

सत्यमेव जयते

अंक २
संख्या २९

सोमवार
११ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ४२४७—४२९९]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४३००—४३१२]

(मूल्य ४ आने)

266 P.S.D.

लोक सभा

सोमवार, ११ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिहोरा रेलवे स्टेशन (ओवर ब्रिज)

*२०००. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय झोन के सिहोरा रेलवे स्टेशन पर कोई ओवर ब्रिज नहीं है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस स्टेशन पर आने जाने वाली गाड़ियों का प्रति दिन प्रातः काल क्रासिंग होता है और आम जनता को सड़क पार करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(ग) उक्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५३ तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

(घ) क्या सरकार ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर जांच कर रही है?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाजखां) : (क) इस स्टेशन पर एक प्लेट फार्म होने से वहां कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है।

(ख) वर्तमान टाइम टेबल के अनुसार इस स्टेशन पर चौबीस घंटों में केवल एक बार ही गाड़ियों का क्रासिंग होता है।

(ग) १५ अगस्त १९४७ और ३१ मार्च १९५३ के बीच स्टेशन को लांघते समय केवल दो व्यक्तियों के मरने की घटनाएं हुई थीं।

(घ) वहां केवल एक ही प्लेट फार्म है और यार्ड के दोनों ओर लेवल क्रासिंग हैं अतः वर्तमान में इस स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाने का विचार नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि वहां पर ओवरब्रिज न होने के करण पैसेंजरों को बहुतसी तकलीफ़ें हुआ करती हैं जब कि दोनों साईड्स की अप और डाउन गाड़ियां वहां खड़ी रहती है?

श्री शाहनवाज खां : फुट ओवरब्रिज उन स्टेशनों पर बनाये जाते हैं जहां एक से ज्यादा प्लेट फार्म हों इस स्टेशन पर सिर्फ एक प्लेट फार्म है इसलिये वहां फुट ओवरब्रिज की जरूरत नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं मंत्री महोदय से आशा कर सकता हूं कि ओवरब्रिज बनाने के बारे में पूरी

जांच पड़ताल करके फिर वह अपनी राय जाहिर करेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : इस चीज की बहुत काफी जांच करली गई है और मैं कोई खास आशा नहीं दिला सकता हूं ?

सलेम जंकशन पर जल की पूर्ति

*२००१. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण रेलवे के पदाधिकारियों के समक्ष इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है कि निरन्तर प्रवाहित रहने वाले थाझा ओदई स्रोत से सलेम जंकशन पर जल की पूर्ति की जाय ?

(ख) यदि उपर्युक्त तथ्य सही है तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना की जांच की जा रही है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : श्रीमान् इसमें कितनी रकम खर्च होने का अनुमान है ?

श्री अलगेशन : हमारे पास कोई अनुमान नहीं है, श्रीमान् । आजकल हमें सलेम नगरपालिका से जल प्राप्त हो रहा है ।

रेलवे निरीक्षक-कार्यालय

*२००२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सन् १९५२ में भारतीय रेलों पर होने वाली समस्त दुर्घटनाओं का रेलवे निरीक्षक कार्यालयों की ओर से निरीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि नहीं तो प्रथम्यता अनुसरण करने की क्या रीति थी; और

(ग) क्या निरीक्षक कार्यालय ने रेलों में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और देशी ट्रेन लाइटिंग बेल्टिंग्स के स्थायित्व की जांच की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसी प्रत्येक घटना जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो अथवा गंभीर चोट लगी हो अथवा जिसमें २०,००० रु० अथवा उस से अधिक की हानि हुई हो नियमानुसार इन घटनाओं की जांच का उत्तरदायित्व निरीक्षक कार्यालय पर है । अन्य मामलों में उक्त कार्यालय अपनी विवेक बुद्धि से काम लेता है ।

(ग) जी नहीं, यह काम निरीक्षक कार्यालय के अतंर्गत नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान क्या मैं जान सकता हूं कि रेल दुर्घटनाओं की जांच करने के अतिरिक्त इस कार्यालय के और क्या कर्त्तव्य हैं ?

श्री राज बहादुर : किसी सीमा तक मार्ग की जांच आदि करना भी सम्मिलित है । रेल मंत्रालय द्वारा प्रसारित की गई एक विज्ञप्ति में इन कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने कार्य को भली प्रकार करने के लिये इसे कौन से विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने कहा था विशेषाधिकार परिभाषित किये गये हैं । मैं माननीय सदस्य को उन नियमों तथा सम्बन्धित सूचना की ओर निर्देश करता हूं जिनसे यह शासित होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : किस दिशा में रेलवे बोर्ड का इस कार्यालय पर नियंत्रण है ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि रेलवे बोर्ड का इस पर कोई नियंत्रण है क्योंकि सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया था कि सब दुर्घटनाओं का निरीक्षण ऐसे विभाग द्वारा होना चाहिये जो रेल मंत्रालय के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्रालय के अधीन हो।

दांत की बीमारियों का आयुर्वेद पद्धति पर उपचार

*२००३. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) क्या अखिल भारत आयुर्वेदिक दंत मिशन बम्बई द्वारा बिना दर्द दांत बाहर निकालने और आयुर्वेद के सिद्धान्तों पर आधारित दांतों की बीमारियों के उपचार के सम्बन्ध में नई दिल्ली में किये गये प्रदर्शन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने ३७, लेडी हार्डिञ्ज रोड, नई दिल्ली में अप्रैल १९५३ से प्रदर्शित की जा रही पद्धति की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की परीक्षा की है अथवा ऐसा करने का विचार है ; और

(ग) यदि उक्त (क) और (ख) भाग के उत्तर स्वीकारात्मक अवस्था में हैं तो सरकार ने इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) सरकारी पदाधिकारियों ने प्रदर्शन देखा है।

(ग) सरकार का विचार है कि अखिल भारत आयुर्वेदिक दंत मिशन बम्बई द्वारा दांत निकालने की पद्धति के प्रदर्शन में कोई आयुर्वेदिक पुट नहीं है। यह पद्धति पहले से ही छोटे-छोटे हस्पतालों और औषधालयों में प्रचलित है अतः उसे लोकप्रिय बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री डोरास्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या जैसा कि माननीय मंत्री ने बतलाया है इस प्रकार का अनस्थेशिया (चेतना शून्य करने की औषधि) ग्रामीण हस्पतालों में दिया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं अनस्थेशिया के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं दे सकती।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस में आयुर्वेद की कोई बात नहीं है। मैं जान सकता हूं कि क्या आयुर्वेदिक पद्धति में बिना अनस्थेशिया के पीड़ा के बिना दांत निकाला जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं ने इस कारण यह कहा था कि इस में आयुर्वेद की कोई बात नहीं है क्यों कि वे दन्त विज्ञान की आधुनिक चीजों का प्रयोग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अनस्थेशिया के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं—क्या वे अनस्थेशिया का प्रयोग करते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं, श्रीमान्।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इन में से कोई डाक्टर अपने शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण

के आधार पर दांत निकालने की .इस पद्धति के प्रभावशाली होने के सम्बन्ध में कुछ कह सकता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के प्रावैधिक पदाधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजा गया था और दो प्रख्यात दन्तचिकित्सक डा० बेरी तथा डा० मलिक को भी इस प्रक्रिया की परीक्षा करने के लिये भेजा गया था।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इन में से किसी डाक्टर ने दांत निकालने की आयुर्वेदिक पद्धति या दांत निकालने की योगिक पद्धति में जिस पर कि यह आधारित बताई जाती है कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जैसा कि मैं ने बतलाया इस में कुछ भी आयुर्वेदिक चीज नहीं है।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी हस्पतालों में किसी आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम दांत निकालने के प्रश्न को छोड़ कर सामान्य आयुर्वेदिक पद्धति के प्रश्न को ले रहे हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एलोपैथिक जानने वाले हैं और वे आयुर्वेद सम्बन्धी परीक्षणों के प्रति उदासीन हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सत्य है कि वे एलोपैथिक डाक्टर हैं। परन्तु दूसरी बात ठीक नहीं है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने जो ढंग अपनाया था वह वैज्ञानिक था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जो डाक्टर पहिले उन्हें देखने गये थे उन से हमें जो कुछ ज्ञात हुआ है उस से यह पता लगता है कि वे कोई बहुत अच्छे और विषाक्त न होने वाले ढंग का प्रयोग नहीं कर रहे थे।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि दांत निकालने की इस प्रक्रिया में अनस्थेशिया के प्रयोग के बिना भी क्या दर्द नहीं होता था।

श्रीमती चन्द्रशेखर : कुछ रोगियों ने दर्द की शिकायत नहीं की थी; किन्तु जो लोग उस संस्था को देखने गये थे उन्होंने बतलाया कि कुछेक ने दर्द की शिकायत की थी और कुछ के खून भी निकला था।

रेलवे के अनुसचिवीय कर्मचारीवर्ग के लिये संयुक्त मंत्रणा समिति

*२००४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त मंत्रणा समिति को साधारणतया उत्तर-पूर्वी रेलवे के तथा विशेषतया सोमपुर जिले के अनुसचिवीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : संयुक्त मंत्रणा समिति की उत्तर-पूर्वी रेलवे के अनुसचिवीय कर्मचारीवर्ग के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया गया है और इस के फलस्वरूप कुल १४६८ अनुसचिवीय कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है। इन में से ३८ व्यक्तियों का वेतन अभी पुनः निश्चित नहीं किया गया है और अन्य ७२ के वेतन का

शेषांश, जिन का कि वेतन पुनः निश्चित कर दिया गया है, अभी तक भुगताया नहीं गया है। इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक जिला सोमपुर का सम्बन्ध है, सिफारिशों को पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया गया है।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सोनपुर में कितने अनुसचिवीय पदाधिकारी थे और उन में से कितनों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : ठीक ठीक संख्या बतलाने के लिये मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये।

विशाखापतनम् के पत्तन पर श्रमिक पुंज

*२००५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विशाखापतनम् के कतिपय नियोजक पत्तन खलासी संघ के साथ गोदामों के खलासियों के लिये एक श्रमिक पुंज बनाने के सम्बन्ध में किये गये एक करार को क्रियान्वित करने से इन्कार कर रहे हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि मुख्य श्रम आयुक्त ने एक औद्योगिक विवाद को तय करने के लिये संघ तथा नियोजकों के मध्य यह करार करवाया था ?

(ग) यदि हां, तो करार को भंग करने वाले नियोजकों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां, एक क ।

ख) जी हां।

(ग) करार को न मानने वाला वह नियोजक अब करार को क्रियान्वित करने के लिये तैयार हो गया है। अतः और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

रेलवे की भूमि

*२००६. **श्री तेलकीकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सरकार ने रेल मार्ग के दोनों ओर पड़ी हुई फालतू भूमि को ले लिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी हां, काफी भाग ले लिया गया है।

श्री तेलकीकर : क्या इन भूमियों का किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग हो सकता है, जैसे कि मुर्गियों आदि का पालन तथा अन्य प्रयोजन ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने इसका अनुसंधान नहीं किया है। केन्द्रीय रेलवे से १,७२७ एकड़ भूमि के उपलब्ध होने की सूचना मिली थी और हम ने ९०९ एकड़ ले लिए हैं और उनका उपयोग अधिक अन्न उपजाओ में किया जा रहा है।

श्री तेलकीकर : अन्य लोगों को किन शर्तों पर भूमियां पट्टे पर दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वे विवरण मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे से ली गई भूमियां भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को वितरित की जायेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बात राज्य पर छोड़ दी गई है, पर मैं समझता हूं कि कदाचित यही कार्य की दिशा है।

श्री नानादास : यह देखने के लिए कि ये भूमियां भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को

वितरित की जाती हैं भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक उनके उपयोग का सम्बन्ध है हम राज्य सरकारों के स्वविवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते; जब तक कि भूमि अधिक अन्न उपजाओ के लिए काम में लाई जाती हैं, हम संतुष्ट हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य प्रान्तों की फ़ालतू भूमियों का भी बन्दोबस्त कर दिया गया है और यदि कर दिया गया है तो अल्पकालीन अथवा दीर्घ कालीन आधार पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : अन्य प्रांतों के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री एन० राचय्या : क्या यह तथ्य है कि ये भूमियां केवल रेलवे कर्मचारियों ही को दी जाती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं कह सकता; हमारें पास विवरण नहीं है यद्यपि हमने उनको मंगाया है।

श्री तेलकीकर : यह भूमियां कितने अधिकतम काल के लिए पट्टे पर दी जायेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में पुल

*२००७. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या यातायात मंत्री वे पुल बताने की कृपा करेंगे जिनका निर्माण त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रीय राज-पथ योजना के आधीन प्रारंभ किया गया है ?

(ख) आज कल ये काम किस अवस्था पर है ?

(ग) अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है?

(घ) वर्ष १९५३-५४ में कितनी राशि के व्यय होने की सभावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४९**]

श्री ए० एम० टामस : विवरण से यह पता चलता है कि प्रारंभ किए गए तीन पुलों में से एक पूर्ण हो गया है और प्रतीत होता है कि ३,७३,३०० रुपये की एक राशि व्यय की गई है और उस विवरण में यह दिया हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा २,१०,१७८ रुपये व्यय किए गए हैं। क्या मैं यह समझ लूं कि बाकी १,६३,००० रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय किए गए हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां।

श्री ए० एम० टामस : अन्य दो पुलों के संबंध में मैं जान सकता हूं कि क्या अरूर पुल कोचीन बन्दरगाह के मध्यम के द्वारा निर्मित किया जाने वाला है ?

श्री अलगेशन : जी हां, ऐसा ही है।

श्री ए० एम० टामस : और आलवे पुल के संबंध में, क्या वह त्रावनकोर-कोचीन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया जाने वाला है ?

श्री अलगेशन : ऐसा ही है।

श्री ए० एम० टामस : क्या इस सदन में दिया गया यह आश्वासन कि नारियल जटा उद्योग में मंदी को तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अरूर पुल का स्थल नारियल जटा-उद्योग से प्रभावित क्षेत्र के मध्य में होने के कारण, इस पुल का निर्माण

कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ किया जायेगा, सरकार को अभी तक या है ? विवरण में उल्लेख किया गया है कि केवल प्रारंभिक परिमापन पूर्ण हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि निर्माण कब प्रारंभ होगा ?

श्री अलगेशन : उन्होंने अनुमान लगाने के लिए जगह जगह खुदाई करने का कार्य समाप्त कर दिया है और कोचीन बन्दरगाह के मुख्य इंजीनियर प्राक्कलन तैयार कर रहे ह। हम योजना काल में पुल को पूरा कर देने की आशा करते हैं।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि नारियल जटा-उद्योग में संकट के कारण बेकारी बहुत अधिक हो गई है, क्या यह वचन दिया जायेगा कि नारियल जटा उद्योग में संकट के फलस्वरूप बेकार हुए लोगों को पुल के निर्माण में कार्य-नियोजित किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह उनका काम है कि आयें और अपनी सेवाएं अर्पित करें और निश्चय ही वे कार्य-नियोजित किए जायेंगे।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इस नए पुल के पूरा हो जाने तक आलवे के रेल पुल को साधारण यातायात के लिए खोलना संभव है ? युद्ध काल में उसका इस प्रकार उपयोग किया जा रहा था।

श्री अलगेशन : हम यह नहीं जानते कि क्या वह पुल इस भार को सँभाल पायेगा ? इस बात पर विचार करना होगा।

श्री ए० एम० टामस : विवरण में यह कहा गया है कि १९५३-५४ में ९ लाख रुपए की एक राशि व्यय करने का विचार है। क्या मैं वह कुल राशि जान सकता हूं जो अरूर तथा आलवे के दोनों पुलों को पूरा करने के लिए आवश्यक है ?

श्री अलगेशन : अनुमान है कि आलवे पुल पर १५ लाख रुपए व्यय होंगे और अरूर के पुल पर २५ लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है।

श्री अच्युतन : इन दोनों पुलों के महत्व को और उनके निर्माण को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भारत में अन्य राजपथों की मरम्मत आदि के लिए बंटवारा किये गये धन को इन दो पुलों के निर्माण के लिए लगाने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : धन के अभाव का कोई प्रश्न नहीं है। उनके पास धन है और हम उसको पूरा करेंगे।

उत्तर गुजरात में बिजली के कुएं

*२००८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर गुजरात में बिजली के कुओं की परियोजना में व्यय के लिए भारत सरकार ने बम्बई सरकार को कितनी धन-राशि ऋण रूप में अनुदान करना स्वीकार किया है ?

(ख) इस योजना के अधीन कितने बिजली के कुएं खोदे जाने हैं ; तथा

(ग) कितने बिजली के कुएं खोदे गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) २१० लाख रुपये।

(ख) ४००।

(ग) २५।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने वस्तुत: इस राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी धन दी है और क्या वहां बिजली के कुएं खोदने का कार्य योजना-लेख के अनुसार चल रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने अभी तक ४० लाख रुपया दिया है। ४० लाख रुपये की और मांग थी परन्तु उस पर जोर नहीं दिया गया।

श्री गिडवानी : प्रश्न के (ग) भाग से यह उत्पन्न होता है कि अब तक २५ बिजली के कुएं खोदे गए हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या वे २५ भी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं ?

श्री पी० एस० देशमुख : इन २५ बिजली के कुओं की यह स्थिति है, इन में से पांच असफल रहे हैं परन्तु उन में पम्प नहीं लगाए गए। केवल तीन में इंजन लगाए गए हैं।

श्री गिडवानी : तो क्या यही स्थिति है कि ४०० में से केवल ३ काम कर रहे हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् केवल तीन।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ४०० में से केवल तीन काम कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : ये भी सरकार को नहीं दिए गए। २५ कुएं खोदे गए। पांच असफल रहे। १७ में पम्प नहीं लगाए गए। केवल तीन में इंजन लगाए गए हैं और वे तीन भी सरकार को नहीं दिए गए।

श्री बोगावत : क्या मैं जान सकता हूं कि महाराष्ट्र में कितने बिजली के कुएं खोदे गए और क्या महाराष्ट्र में और कुएं खादने का प्रस्ताव है ?

डा० पी० एस० देशमुख : महाराष्ट्र में बिजली के कुएं खोदने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री गिडवानी : इस तथ्य के विचार से कि ये अब तक असफल रहे हैं क्या जब तक योजना और अधिक सफल न हो वे इस प्रयोजन के लिए और धन देते हुए ध्यान रखेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं धन हानि की प्रत्याशा नहीं कर सकता। राज्य सरकार धन देने में सजग है और मेरा विचार है कि कोई हानि नहीं होगी।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह वही समवाय है जिस के साथ बम्बई सरकार ने कुएं खोदने का ठेका किया था अथवा क्या ठेका अन्य समवाय को हस्तान्तरित किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई ठेका हस्तान्तरित नहीं किया गया। स्थिति यह कि मैसर्ज नैशनल ट्यूब वैल्स लिमिटिड नाम के समवाय को ठेका दिया गया था। उन्होंने कुछ जर्मन शिल्पज्ञों को काम करने के लिए लगाया। यह उप-ठेका नहीं था वरन् य उनके अभिकर्त्ता थे जो काम कर रहे थे।

बाबू रामनारायण सिंह : ट्यूब वैल्स तैयार करने का सारा खर्च भारत सरकार देती है या खर्च का कोई हिस्सा ?

डा० पी० एस० देशमुख : सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने यह सब लोन्स दिये हुए हैं बाम्बे गवर्नमेन्ट को।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं जानना चाहता था कि सारा खर्च दिया जाता है या खर्च का कुछ हिस्सा दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खर्च तो कुछ नहीं दिया जाता। लोन दिया जाता है और बाम्बे गवर्नमेन्ट खर्च करती है। कर्ज दिया जाता है।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि बिजली के उन कुओं का कुल मूल्य क्या है जो अब तक खोदे जा चुके हैं और जिस कम्पनी को कार्य दिया गया है उस के ठेके की शर्तें क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यहां मेरे पास ठेके की शर्तें नहीं हैं। परन्तु अनुमान में प्रत्येक बिजली के कुएं पर ५०,००० रुपया लगने की संभावना है। मैं सभा को बता दूं कि यह ठेका कम्पनी के लिए कुछ कठिन है क्योंकि असफल बिजली के कुओं के लिए कुछ नहीं दिया जायगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि रचना की लागत का कितना भाग कृषकों से वसूल किया जाएगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास विवरण नहीं हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या ये अनुदान केन्द्रीय सरकार ने विशेष क्षेत्रों को दिए हैं अथवा केन्द्रीय सरकार ने वे राज्य को दिए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान मेरे माननीय मित्र के प्रश्न का आधार ही गलत है क्योंकि हम अनुदान नहीं देते। ये केवल ऋण हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : यह जो कुछ भी है।

श्री नाना दास : सारी योजना कब पूर्ण होगी और इस योजना के अधीन कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मध्मान आधार पर जब बिजली का कुआं सफल हो तो ३०० से ४०० एकड़ तक की सिंचाई हो सकती है।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि यह ठेका आरम्भ करने से पूर्व इस समवाय का क्या अनुभव था अथवा क्या यह नया समवाय इस ठेके के लिए बनाया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मुझे देखना होगा।

श्री बोगावत : मैं जान सकता हूं कि महाराष्ट्र में सामुदायिक परियोजनाओं और बिजली के कुओं के सम्बन्ध में सहायता कार्य के क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद के कमी वाले क्षेत्रों को कोई ऋण दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न भी उत्पन्न है। प्रश्न गुजरात के सम्बन्ध में है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विषय पर ध्यान देगी और यह पता लगाएगी कि क्या दिया गया धन प्राप्त किए गए फल के समान है ताकि योजना में विस्तार से पूर्व इस पर ध्यान रखा जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, मैं ने स्वयं इस विषय को देखा है। मेरा विश्वास है कि थोड़े समय में ही कुछ सुधार होगा।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। बिजली के कुओं पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं।

शारीरिक चिकित्सा स्कूल

*२०१०. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि बम्बई के एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल म शारीरिक चिकित्सा स्कूल पर होने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक खर्चा कौन करेगा ?

(ख) क्या यह अखिल भारतीय संस्था होगी ?

(ग) यदि यह ठीक है तो दूसरे राज्यों को इस से किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग ५½ हजार डालर की सामग्री भज दी है। अन्य अनावर्त्तक खर्च बम्बई निगम करेगा। आवर्त्तक खर्चे में भारत सरकार, बम्बई सरकार, तथा बम्बई निगम हिस्सा बांटेंगे। विश्व स्वास्थ्य संघ ने दो शारीरिक चिकित्षकों की सेवाएं भी अर्पित की हैं।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकारें अपने अपने नामीकृत इस स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भज सकते हैं। प्रशिक्षार्थियों का चुनाव समस्त भारत से, चुनाव समिति द्वारा जिस में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा, किया जायगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई समझौता हुआ हैं, यदि हुआ है तो इन दो सुविधाओं को छोड़ कर जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, कोई और भी सुविधाएं मिलेंगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत सरकार का समझौता हुआ है। जहां तक अन्य सुविधाओं का प्रश्न है, मैं नहीं समझती कि जिन सुविधाओं का मैं उल्लेख ऊपर कर चुकी हूं उनके अतिरिक्त कुछ और भी सुविधाएं मिलेंगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के किसी अन्य अस्पताल के साथ भी कोई शारीरिक चिकित्सा सम्बन्धी स्कूल है।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे इसका ज्ञान नहीं है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राशिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए मूल अर्हता क्या है तथा कितने वर्ष का पाठयक्रम ह ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि माननीय सदस्य इसे एक पृथक प्रश्न बना दें तो मैं इसका उत्तर दे सकूंगी।

श्री डोरास्वामी : पिछले वर्ष कितने रोगियों की परिचर्या की गई ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं इसकी पूर्व सूचना चाहूंगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विभिन्न राज्यों से किन मूल आधार पर प्रशिक्षार्थियों का चुनाव किया जायगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं इसकी पूर्वसूचना चाहूंगी।

डाक तथा तार विभाग की पूंजी विनियोजन

*२०११. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४२-४३, १९४७-४८ तथा १९५२-५३ में डाक तथा तार विभाग का संचित अतिरेक, तथा पूंजी विनियोजन कितना कितना है ?

संचरण उप मंत्री (श्री राजबहादुर): सूचना निम्न है :

(लाखों में)

वर्ष	संचित अतिरक़	पूंजी विनियोजन
१९४२-४३	६,६६	२५०६
१९४७-४८ (युद्दोपरांत)	८,२९	३५,७१
१९५२-५३ (अन्तिम प्राक्कलन)	१५,१९	६३,८१

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या डाक तथा तार विभाग की वित्त व्यवस्था को साधारण वित्त व्यवस्था से अलग करने के प्रस्ताव पर मंत्रालय ने विचार किया है तथा इसे वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल को भेजा है ?

श्री राजबहादुर : यह मामला विचाराधीन है । इस समय इस से अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त : डाक, तार विभाग को कितने मामलों में विशेष अनुदान मिला जिस के लिए कि इस विभाग ने आवेदन किया था तथा कितने मामलों में अस्वीकार किया गया ?

श्री राजबहादुर : हमको आय-व्ययक के उपबन्धों के अनुसार ही अनुदान मिलते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं तो आय-व्ययक उपबन्धों के अतिरिक्त विशेष अनुदानों के विषय में जानना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आयव्ययक के उपबन्धों के अतिरिक्त अन्य अनुदानों की आवश्यकता होती है तो सदन में पूरक मागें रखी जाती हैं । ऐसे मामलों के बारे में प्रश्न पूछने से क्या लाभ जिनके विषय में पुस्तकालय से आसानी से ही पता चल सकता है।

श्री सरमा : पूंजीविनियोजन के जो आंकड़े ऊपर दिये गये हैं क्या वे आंकड़े इस विभाग की समस्त पूजीविनियोजन के द्योतक हैं अथवा केवल उन्हीं वर्षों के जिन के बारे में बताया गया है ?

श्री राज बहादुर : पूंजीविनियोजन प्रति वर्ष बढ़ रहा है वर्ष १९४२-४३ में पूंजी विनियोजन २५·०६ करोड़ था और अब यह ७१·४१ करोड़ है । ये सम्पूर्ण आंकड़े हैं।

श्री सरमा : सम्पूर्ण अतिरेक कितना है ?

श्री राज बहादुर : संचित अतिरेक ।

श्री सरमा : जी श्रीमान् ।

श्री राज बहादुर : यह ६·६६ करोड़ से बढ़ कर १६·३४ करोड़ हो गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता था कि कितने मामलों में इस विभाग ने रुपया मांगा और साधारण वित्त व्यवस्था में धन की मांग के कारण इन्कार कर दिया गया । मैं यह जानना चाहता था कि क्या ऐसे मामले भी इस विभाग के साथ हुए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात के होते हुए कि आयव्ययक में इस की व्यवस्था है ?

श्री एस० सी० सामन्त : आयव्ययक के अतिरिक्त ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तो पूरक मांगो के द्वारा आयेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : पूरक मांगों में वह इसलिए नहीं रखे गये क्योंकि साधारण राजस्व में अर्थ की कमी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब क्या हो सकता है। अब प्रश्न क्या है। माननीय सदस्य यह सुझाव रख रहे हैं कि अधिक धन दिया जाय।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामले हुए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: सदैव ही ऐसी बातें होंगी।

मजदूरों के झगड़े

*२०१२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में सीधे सरकार द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक स्थापनों में उत्पन्न होने वाले मजदूरों के झगड़ों की संख्या ;

(ख) कर्मचारियों तथा सरकारी विभागों के बीच उसी वर्ष उत्पन्न होने वाले ऐसे झगड़ों की संख्या :

(१) रेल विभाग ;

(२) डाक तथा तार विभाग ; और

(३) अन्य सरकारी विभागों,

(ग) उपयक्त भाग (क) और (ख) में निर्देश किये गये झगड़ों की संख्या जो (१) आपस में तय हो गये हों और (२) न्यायाधिकरण, अथवा अन्य किसी मध्यस्थ संस्था के पास निर्णय के लिये निर्देशित किये गये हों ; और

(घ) उन मामलों की संख्या जिन में कर्मचारियों के निवेदन पर झगड़ों के सम्बन्ध में एक न्यायाधिकरण या अन्य निष्पक्ष मध्यस्थ द्वारा दिये गये निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया हो ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) :

(क) ८९३ ।

(ख) (१) ५४३
(२) १३
(३) ३३७
———
८९३
———

(ग) (१) ८०८
(२) ९ ।

(घ) ८ ।

श्री राधा रमण : राज्यवार संख्या क्या है ?

श्री वी० वी० गिरी : मेरे पास यहां इस की सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें, तो मैं एकत्रित कर लूंगा।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह तथ्य है कि किसी विभाग विशेष के झगड़ों को न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देश करने में अत्यधिक पक्ष निवेदन की आवश्यकता होती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं नहीं समझता किसी प्रकार के पक्ष-निवेदन की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें एक मामला बना लेना चाहिये।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि उन मामलों की संख्या क्या थी जिस में हड़ताल की घोषणा हो जाने के पश्चात् झगड़े का निर्देश एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को किया गया था और ऐसे मामलों की संख्या क्या थी जिनमें हड़ताल होने के पूर्व ही झगड़े का निर्देश कर दिया गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इन सभी निर्णयों में अधिक संख्या नियोजकों के पक्ष में निर्णय दिये जाने की है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं तो ऐसा नहीं समझता ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : माननीय मंत्री ने बताया कि आठ मामलों में निर्देश के लिये निवेदन अस्वीकार कर दिया गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि निवेदन क्यों अस्वीकार कर दिये गए थे ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं सूचना न दे सकूंगा । मेरे पास यह सूचना यहां नहीं है । मुझे यह एकत्रित करनी पड़ेगी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं सामान्य रूप से निवेदन अस्वीकार किये जाने के कारण जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : यदि यह अनुचित समझा जाता है ।

चावल की खेती का जापानी तरीका

*२०१३. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में वर्ष १९५३ में जापानी तरीके से चावल की खेती करने के लिये रखा गया कुल क्षेत्रफल; और

(ख) उन भूमियों से जितना उत्पादन पहले होता था उससे अधिक आशा की गई उत्पादन की मात्रा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) और (ख) कोई भी अनुमान देना अभी समय से बहुत पहले है क्योंकि बहुत से स्थानों में अभी बोवाई भी आरम्भ नहीं हुई है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई योजना नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार के पास योजनायें हैं । किन्तु अभी कुछ कहना समय से बहुत पहले होगा । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं; किन्तु वे अन्तिम नहीं हैं । वे पूर्ण अनुमानित ही समझी जानी चाहिये । १६ राज्यों में हम ६,०३,८४० एकड़ में जापानी तरीका प्रयोग में लाने वाले हैं और पहले से साधारणतः होने वाली पैदावार से पड़ोस में २,४६,३९५ टन अधिक उत्पादन हो सकता है ।

श्री बोगावत : क्या मैं बम्बई राज्य में खेती किये जाने वाले क्षेत्र तथा उससे आशा की गई अतिरिक्त उत्पादन मात्रा जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : बम्बई ने अभी तक प्रतिवेदन नहीं किया है; वहां प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

श्री हेडा : सरकार ने जापानी तरीके के लिये आवश्यक औजार विशेष की पूर्ति करने के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं क्योंकि वह औजार साधारणतः भारत में उपलब्ध नहीं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं बताना चाहता हूं कि जापानी औजार अनिवार्य नहीं हैं । उनसे सहायता मिल सकती है । उनमें से कुछ का निर्माण करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं जिन से उन पर प्रयोग किया जा सके और वे कृषकों को दिये जा सकें ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जापानी मैथड से चावल पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश में उन्होंने कितनी जगह चुनी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह साधारण प्रश्न है, केवल मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : निश्चित लक्ष्य १०,००० एकड़ का है ।

श्री जांगड़े : पंजाब में जो कुरा तरीके से खेती होती है क्या उसका प्रयोग भारत के अन्य राज्यों में किया जायेगा, और क्या यह तरीका जापानी तरीके की खेती से बढ़कर नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुरा केन्द्र ने जापान से ही यह मैथड लिया है । कुरा केन्द्र के मैथड में और जापानी मैथड में कोई फर्क नहीं है ।

श्री नानादास : सामग्री सहायता और प्राविधिक पथ-प्रदर्शन की वे कौन सी किस्में हैं जो जापानी तरीके द्वारा साहसी कृषकों को दी जा रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, श्रीमान, हमने हजारों प्रदर्शनों का प्रबन्ध कर लिया है । इस के साथ ही वर्तमान में हम बिना भुगतान के उर्वरक प्रदान कर रहे हैं । अनेक राज्यों में वे उनके बीज भी दे रहे हैं जिनका भुगतान भी तत्काल ही न हो कर वरन् फसल कटने के समय ही होगा । तीसरे राज्य विभागों द्वारा सम्पूर्ण सूचना एवं प्राविधिक पथ-प्रदर्शन दिया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों को कृषि पंडित की उपाधियां मिली हैं उन लोगों ने किस प्रकार से पैदावार का काम किया है और, अगर कृषि पंडितों ने जापानी मैथड से जो पैदा होता है उस से ज्यादा पैदा किया है तो उन के मैथड से सरकार क्यों काम नहीं लेती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्या य प्रश्न है अथवा यह भाषण है ? मैं इसे समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में पर्याप्त बहस हो चुकी है । अब अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : उठ खड़े —

श्री बूवराघसामी : दक्षिणी भारत में चावल-उत्पादन के ढंग और जापानी कृषि के ढंग में पैदावार का क्या अन्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । यह मामला लिया जा चुका है ।

श्री बवराघसामी : मैं अन्तर जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

एयरवेज इन्डिया के डकोटा के साथ दुर्घटना

*२०१४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १४ अप्रैल १९५३ को एयरवेज इंडिया का एक डकोटा विमान गोहाटी से कलकत्ता जाते हुए दुर्घटना ग्रस्त हो गया था; तथा

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे और इस में कितनी हानि हुई थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां

(ख) दुर्घटना अभी तक जांच पड़-ताल में हैं । दुर्घटना के परिणाम-

स्वरूप पोतिक जिसमें चालक, उपचालक और रेडियो आफिसर भी थे, इनके जीवन समाप्त हो गये । हवाई जहाज पूर्णतया नष्ट हो गया, और जो सामान उस पर था, खोया गया ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हवाई जहाज के उड़ने के पहिले उसकी पूरी पूरी जांच हुई थी ?

श्री राज बहादुर : जी हां, यह नियम है, हवाई जहाज के उड़ने के पहले उस की पूरी जांच हो और उसके ठीक होने का सर्टिफिकेट दिया जाय ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह नियम माना गया था ?

श्री राज बहादुर : जी हां, यह नियम हमेशा अनिवार्य रूप मे माना जाता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इन पाइलटों की जांच होती है कि वे शराब पीकर तो हवाई जहाजों को नहीं चलाते हैं ?

श्री राज बहादुर : एरोड्रोम आफिसर होता है जो सब की निगरानी करता है और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो इसका पूरा प्रबन्ध है कि उस को न भेजा जाय ।

श्री नामधारी : अगर एयरोड्रोम आफिसर खुद ही पीने वाला हो तो क्या हो ?

श्री राज बहादुर : इसका इलाज तो प्राहिबिशन ही है ।

श्री फीरोज गांधी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बनाने वालों ने यह घोषणा की थी कि डकोटा १९६० में रद्दी हो जायगा ?

श्री राजबहादुर : मुझे बनाने वालों की ऐसी किसी घोषणा का पता नहीं है ।

श्री फीरोज गांधी : क्या कृपापूर्वक माननीय मंत्री इस की जांच पड़ताल करवाएंगे ?

श्री राज बहादुर : विशेषज्ञ व्यक्तियों ने जिन्होंने उनका परीक्षण किया था, उन का कहना था कि उनकी आयु १९६० तक रहेगी । समय समय पर उनका सम्पूर्ण ओवरहाल होता है, जिससे वे नवीन की तरह बन जाते हैं ।

श्री फीरोज गांधी : मैं विशेषज्ञों की बात नहीं करता । मैं बनाने वालों की बाबत पूछ रहा था ।

श्री राज बहादुर : जी नहीं, मेरा विचार नहीं कि जो कुछ माननीय सदस्य सुझाते हैं, वही बनाने वालों ने कहा है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दुर्घटना की कोई जांच पड़ताल हुई थी और क्या कोई राय दी गई थी, और उस राय का कहां तक अनुसरण किया गया ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने अभी बतलाया सारे मामले की अभी खोज बीन की जा रही है ।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि डकोटा का जीवन, हवाई उड़ाने के योग्य होने के प्रमाण का नवीनीकरण १९६० तक बढ़ाया जायगा । क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस देश में कितने अतिरिक्त इञ्जन हैं ?

श्री राज बहादुर : मुझे इस प्रकार अतिरिक्त इञ्जनों की स्थिति का पता नहीं है ।

श्रीमति ए० काले : क्या मैं दिन प्रति दिन इन होने वाली जांच पड़तालों का क्या परिणाम निकला है, ऐसा पूछ सकती हूं ?

श्री सी० डी० पांडे : अधिक दुर्घटनाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह साधारण प्रश्न है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चलने से पूर्व पोतिकों का डाक्ट्री परीक्षण अनिवार्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन का डाक्ट्री परीक्षण कराने की प्रथा है ?

श्री राज बहादुर : निस्सन्देह, यह निश्चय करने के लिए कि चालक धीर हैं, पूर्ण पड़ताल होती है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या न केवल इसी डकोटे अपितु बाकी डकोटों की अचिरकाल की दुर्घटनाओं में, दुर्घटना का कारण अधिकतर मशीनों में नुक्स होने का परिणाम था, अथवा ऋतु या गलत चलाने का परिणाम ?

श्री राज बहादुर : मुझे पूर्णतया समय का विश्वास नहीं परन्तु पिछले १२ या १८ महीनों में ८ दुर्घटनाएं हुई हैं । और उन का अधिकतर कारण जांच पड़ताल करने वाले अफसरों ने चालन की गलतियों को ठहराया है ।

श्री पोकर साहब : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन दुर्घटनाओं के उपरान्त सरकार ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ? और इस मामले में क्या उपदेश दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : सब संभवनीय कार्यवाहियां की जा रही हैं परन्तु जब तक मानवीय अशद्धियां वर्तमान हैं, मैं नहीं कह सकता कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी ।

श्री जोशिम अल्वा : बार बार हुए डकोटा दुर्घटना के पश्चात, [क्या असैनिक विमान विभाग इस प्रकार के जहाजों के सम्बन्ध में इन के बनाने वालों से बात चीत कर रहा है ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न डकोटा दुर्घटनाओं की संख्या के एक विशेष अनुमान पर आधारित है हमारे पास यह सूचना है कि अब तक इन बारह महीनों में केवल दो दुर्घटनाएं घटी हैं, जहां तक यात्री हवाई जहाजों का सम्बन्ध है उन में से एक में किसी व्यक्ति के जीवन का नाश नहीं हुआ ।

श्री फीरोज गांधी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बनाने वालों से यह पता करने की कृपा करेंगे कि क्या वे यह प्रमाणपत्र देने के लिए तैयार हैं कि ये हवाई जहाज १९६० के बाद भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं ?

श्री राज बहादर : निश्चय से, मैं यह अवश्य करूंगा ।

श्री जयपाल सिंह : पिछले शनिवार को मेरे मित्र श्री अविनासलिंगम् चटर्जी ने एक प्रश्न पूछा था । परन्तु दोनों मंत्री दुर्घटना स्थल पर गये होने के कारण अनुपस्थित थे । क्या मैं आप की आज्ञा से प्रार्थना कर सकता हूं कि अब जब कि उप मंत्री उपस्थित हैं, उस प्रश्न का उत्तर दिया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न क्या है ?

श्री जयपाल सिंह : श्री चटर्जी उसे दुहराएंगे ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या चालकों को एक निश्चित अटल आज्ञा है कि जब बुरी ऋतु की रिपोर्ट हो, तो वे यात्रा पर न चलें ?

श्री राज बहादुर : केवल चालक का ही उत्तरदायित्व नहीं होता, अपितु वहां के कार्य-संचालन अफसर का भी उत्तर-दायित्व होता है । और यदि नियमों के आधीन इस की मनाही की गई है तो वह चलने की आज्ञा नहीं देता ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या सरकार को पता है कि वे चेतावनी के होते हुए भी वे अपन विकल्प को धारण करते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : तब वे मरते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : जनता के भ्रम को दूर करने के लिये, यदि आज नहीं, तो यथासंभव शीघ्र हो, क्या मंत्री महोदय उस प्रश्न पर एक विशिष्ट विवरण देने की कृपा करेंगे जो इस सदन में राय प्रकट की गई हैं कि गलत चालन से, अथवा इस मामले में बनाने वालों के अपने दृष्टि-कोण से डकोटा में कम सुरक्षा रहती है ?

श्री राज बहादुर : मैं इस सुझाव को मन में रखूंगा और इस पर उचित विचार करूंगा ।

अन्तर्देशीय पर्यटक

*२०१५. **श्री मादिया गौडा** : क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिये किन सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है ?

(ख) क्या वे सारी सुविधायें जो समुद्र पार से आने वाले पर्यटकों को दी जाती है अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिये भी उपलब्ध हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) अभी तो भारत सरकार विदेश से आने वाले पर्यटक यातायात को बढ़ाने के उपाय कर रही है तथा अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिये किन्हीं विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं किया गया है । फिर भी पर्वतीय स्टेशनों को जाने वाले पर्यटक यातायात को पुन-र्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रह है ।

श्री मादिया गौडा : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्देशीय पर्यटक सरकार से वही सुविधायें पाने के अधिकारी नहीं हैं जो कि विदेशी पर्यटकों को प्राप्त हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उन को सब सुविधायें प्राप्त हैं, श्रीमान् परन्तु इस समय सरकार का मतलब विदेशी पर्यटक यातायात को विकास करना है । इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्तर्देशीय पर्यटकों को कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं पर्वतीय स्टेशनों को जाने वाले अन्तर्देशीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिये किये जाने वाले उपायों को जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : जहां तक पर्वतीय स्टेशनों का प्रश्न है, अनेक कारणों से उनकी संख्या कम हो रही है परन्तु हम पर्वतीय स्टेशनों को जाने वाले इस अन्त-र्देशी पर्यटक यातायात को पुनर्जीवित

करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब पर्वतीय स्टेशनों में विभिन्न सलाहकार समितियां तथा यातायात कार्यालय संचालित किये गये हैं तथा हाल में हमें ज्ञात हुआ है कि वित्त की कमी के कारण उन का संचालन नहीं हो पाता है। राज्य सरकारों की बैठक जो अभी हमने हाल में आयोजित की थी, हमने उनसे इस विषय पर विचार करने तथा सहायता देने के लिये कहा था।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रादेशिक पर्यटक दफ़्तरों द्वारा पर्यटकों के निर्देशन के लिये लाभदायक पुस्तकें निर्गम की जाती हैं ?

श्री अलगेशन : निश्चय पूर्वक, श्रीमान, हम ऐसी अनेकों निर्देश पुस्तकें, फ़ोलडर, इश्तहार तथा अन्य सामग्री निर्गम कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिमालय के जो रमणीक स्थल हैं उन के लिये पर्यटन बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई विशेष योजना बनाई जा रही हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन किराये में भी कमी कर रहा है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि तीर्थयात्रियों को भी वही सुविधायें दी जाती हैं जो पर्यटकों को उपलब्ध हैं ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं। अभी हम तीर्थ यात्रियों की इतनी भारी संख्या का प्रबन्ध करने में असमर्थ हैं ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिये कौन कौन सी सुविधाओं का प्रावधान है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि किताबें प्रकाशित की जाती हैं। शेष समय व्यतीत करने के लिये मैं ऐसे सारे प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं अन्तर्देशीय पर्यटक यातायात के आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : किन्हीं आंकड़ों का संग्रह नहीं किया जा रहा है।

प्रधान फ़ारम केन्द्र

*२०१६. **श्री मादि गौड़ा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री मैसूर राज्य में १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों के लिये प्रधान फ़ारम केन्द्रों को दिये जाने वाले अनुदान की धन राशि बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन केन्द्रों में पशुओं की कितनी रासें तथा किस प्रकार की रखी जाती हैं ?

(ग) इन केन्द्रों से कृषक क्या लाभ उठाते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख) . अपेक्षित जान कारी का एक विवरण सदन पटल पर रक्खा है।

(ग) प्रधान ग्रामों में कृषकों द्वारा उठाये जाने वाले लाभ निम्न लिखित हैं :—

(१) उनके पशुओं के लिये उत्तम सांडों की (प्राकृतिक तथा कृत्तिम गर्भाधान) निशुल्क सेवा;

(२) छूत के रोगों से उनके पशुओं की रक्षा;

(३) पशुओं की चिकित्सा, क्रय विक्रय तथा चारा के सम्बन्ध में निशुल्क परामर्श तथा सहायता।

विवरण

केन्द्र का नाम (१)	केन्द्र में सांडों की किस्म तथा संख्या (२)		संभोदित धन राशि (भारत सरकार का अंश) (३) १९५१-५२	१९५२-५३
मैसूर सरकार के आधीन				
(१) प्रधान केन्द्र मिश्रित पशु फारम हेसार धारा	मालिकार	४	२७,७२५	१६,५००
	मुर्रा	१		
(२) प्रवाय केन्द्र पशुजनन केन्द्रीअज्जम पुर	अमृतमहल	१५	..	..
	मुर्रा	२		
		२२	२७,७२५	१६,५००
भारत सरकार के आधीन			२८,३००	२१,३००
(३) भारतीय गव्यशाला अनुसन्धान इस्टीट्यूटबगंलौर	लालसिन्धी	४		
	थारपरकर	२		
	गिर	३		
(१) आगरा क्षेत्र	मालीकर	४		
	मुर्रा	४		
(२) शहरी पशु-चिकित्सा अस्पताल क्षेत्र	योग	१७	२८,३००	२१,३००
(३) कैकान्द्रान्हल्ली क्षेत्र	महायोग	३९	५६,०२५	३७,८००

श्री मादिया गौडा : क्या मैं जान सकता हूं कि मैसूर भी इन केन्द्रों के व्यय का कोई अंश देता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान, योजना के अनुसार, उन को व्यय के ५० प्रतिशत का भार वहन करना होता हैं।

श्री मादिया गौडा : क्या मैं यह और जान सकता हूं, श्रीमान्, कि भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले द्वितीय प्रकार के केन्द्रों में १७ सांड रखने के अतिरिक्त, इन केन्द्रों में और कोई पशु रक्खे जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : तीन प्रकार के सांड है जो हेसर धारा, और अज्जम पुर के दो प्रधान केन्द्रों में रक्खे जाते है। वे हैं मालीकर, मुर्रा तथा अमृत-महल। बंगलौर गव्यशाला अनुसंधय इस्टीट्यूट केन्द्र में लालसिन्धी, थारपरकर, गिर, हालीकर और मुर्रा है। यही प्रकार है।

श्री० बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि वहां पर औंगोल के सांड क्यों नहीं रक्खे जाते ह ?

डा पी० ए०स देशमुख : इस का निर्णय तो केन्द्रों को ही करना हैं।

त्रिपुरा के खाद्याभाव

*२०१७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में मार्च तथा अप्रैल १९५३ के महीनों में खाद्यान्नों के मूल्य बहुत तेजी से बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां तो कितने;

(ग) क्या कैलाशहर, कमाल पुर और खोवी में भी मूल्य बढ़े हैं जहां अभावदशा विद्यमान बताई जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि स्थानीय जनता ने राज्य सरकार के पास सहायता के लिये अभ्यावेदन भेजा है;

(ङ) क्या सरकार स्थिति में सुधार करने के लिये त्रिपुरा के घाटे वाले क्षेत्रों में से खाद्यान्नों के निर्यात को बन्द करना और बाहर से आयात को आरम्भ करना चाहती है; तथा

(च) क्या सरकार खाद्याभाव वाले क्षेत्रों में सस्ते अनाज वाली दुकानें खोलना चाहती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (च) . सूचना संग्रहीत की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

मधेपुरा-मुरलीगंज रेलवे लाइन

* २०१९. **श्री वी० मिस्सिर** (क) : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे : कि बिहार में मधेपुरा और मुरलीगंज के बीच नई रेलवे लाइनें बिछाने का काम कब समाप्त हो जायेगा ?

(ख) इन नई लाइनों पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

रेलवे तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) आशा की जाती है कि दिसम्बर १९५४ तक काम समाप्त हो जायेगा ।

(ख) आज तक इन लाइनों के बिछाने पर लगभग २/६ लाख रुपये खर्च हुये हैं ।

भागलपुर-मन्दार रेलवे लाइन

*२०२०. **श्री वी० मिस्सिर** : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भागलपुर और मन्दार के बीच नई रेलवे लाइनें का काम कब समाप्त हो जायगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : आशा की जाती है कि भागलपुर-मन्दार पहाड़ी पर का पहले का काम चालू वित्त वर्ष के अन्त तक समाप्त किया जायेगा ।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्था

* २०२१. **श्री मुनिस्वामी** : **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या सरकार मद्रास में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय कोढ़ अनुसंधान संस्था में काम कराने के लिये विदेशी औषधि-चिकित्सा विशेषज्ञों को निमन्त्रित करना चाहती है ;

स्वास्थय उपमंत्री (श्रीमति चन्द्रशेखर): उक्त संस्था के स्थापित किये जाने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या विदेशी विशेषज्ञों को केन्द्रीय कोढ़ अनुसन्धान संस्था में काम कराने के लिये निमन्त्रित किया जायेगा ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस संस्था के लिये केन्द्र से कुल कितना धन अनुदान में मिला है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अभी यह संस्था स्थापित नहीं हुई है; इसके स्थापित किये जाने के बाद ही इस बात का अन्तिम निश्चय किया जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस संस्था को संभालने तथा इसके काम के निमित्त परामर्श देने के लिये कई विदेशी विशेषज्ञों को निमन्त्रित किया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं, श्रीमान् ।

श्री नानादास : क्या में ज्ञात कर सकता हूं कि यह केन्द्रीय संस्था कब स्थापित की जायेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान् , अब यह बात मद्रास सरकार के विचाराधीन है । ज्यों ही हमें नकी प्रस्थापनायें मिलेंगी त्यों ही इस संस्था को स्थापित किया जायेगा ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोढ़-निरोधक अनुसन्धान में आयुर्वेद प्रणाली के वैद्यों को भी कुछ अनुसन्धान-कार्य सौंपा जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं समझती हूं कि उक्त संस्था के स्थापित किय जाने के बाद ही इस बात पर विचार किया जायेगा ।

श्री रघवय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस प्रकार की संस्थायें भारत के और स्थानों में भी खोली जायेंगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कोढ़ निरोध के अनुसन्धान के लिये तो केन्द्र द्वारा मद्रास में केवल एक संस्था स्थापित की जायेगी ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं ठीक वही स्थान ज्ञात कर सकता हूं जहां इस संस्था को खोला जाने का विचार किया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, चिंगलपट में ही इसे स्थापित किया जा रहा है ।

भारतीय तथा विदेशी जहाजों द्वारा उठाया गया सामान

*२०२२. **श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९५२ से दिसम्बर, १९५२ तक भारत से विदेशों को कुल कितने टन सामान जहाजों द्वारा भेजा गया था ?

(ख) ब्रिटिश के मुकाबले में भारतीय जहाजों ने कितने टन सामान उठाया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). इस समय अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु इसे इकट्ठा किया जा रहा है और कालान्तर में सदन पटल पर रखा जायेगा ।

प्रधान देहात योजनायें

*२०२३. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या ज्ञात तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा प्रस्थापित प्रधान देहात योजनाओं से कितने राज्यों ने लाभ नहीं उठाया है;

(ख) क्या राज्यों ने एक चौथाई खर्चा पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं ली हैं; और

(ग) क्या सरकार उन गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिये तैयार है जिन्होंने प्रधान देहात योजना चलाने के लिये आगे कदम बढ़ाया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). यह प्रधान देहात योजना प्रत्यक्ष रूप से अपनी अपनी संस्थाओं में अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी संस्थाओं में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा सकती है। पहली स्थिति में भाग 'क' तथा 'ख' राज्य सरकारों को कुल लागत का ५० प्रतिशत देना पड़ता है। यदि यह योजना निजी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाती है तो सम्बद्ध राज्य सरकार अथवा निजी संस्थाओं को ही आपस में आवर्त्तक लागत का २५ फीसदी उठाना पड़ता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पेप्सू, इन तीन को छोड़ कर अन्य सभी भाग 'क' तथा 'ख' राज्यों ने उनकी अपनी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के सम्बन्ध में कुल लागत का ५० फीसदी उठाना स्वीकार किया है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के भाग 'घ' राज्य ने भी अपनी कोई योजना पेश नहीं की है क्योंकि वहां पशु-संख्या कम है। अतः इन चार राज्यों में प्रधान देहात योजना को नहीं चलाया गया है। जहां तक गैर-सरकारी संस्थाओं का प्रश्न है, केवल कई एक राज्यों को, जिन में २५ सुप्रसिद्ध संस्थायें हैं, इस मामले में लिखा गया है और उन सभी ने यह सहमति प्रगट की है कि गैर-सरकारी संस्थायें और वे स्वयं आवर्त्तक व्यय का २५ फीसदी देंगे।

(ग) भारत सरकार तो पहले से ही गैर-सरकारी संस्थाओं को इस बात की सहायता दे रही है ताकि वे प्रधान देहात योजना के अन्तर्गत कार्य संभालें। निजी संस्थाओं में इस प्रकार के २५ केन्द्रों के संस्थापना भी पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। अग्रेतर प्रस्थापनायें, जब भी सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त होंगी, तो इन संस्थाओं में काम किये जाने के लिये उपलब्ध सुविधाओं के प्रकाश में उन पर विचार किया जायेगा।

श्री नानादास: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में हर प्रधान देहात योजनाओं का क्या काम है?

डा० पी० एस० देशमुख: इन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है; हम पशुओं के सुधार के लिये बहुत अधिक कार्य करने की आशा करते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: ये प्रधान देहात योजनायें बैलों को बधिया करना चाहती है। क्या सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह उन क्षेत्रों में कई बैलों को मजबूरी अथवा अनिवार्य रूप से बधिया कर दें?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे उस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये। अब तक तो कोई भी कठिनाई पैदा नहीं हुई है। मैं नहीं जानता कि क्या राज्य सरकार अथवा हम कानून के अनुसार बैलों को अनिवार्य रूप से बधिया करने के अधिकारी भी हैं।

श्री वैलायुधन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह प्रधान देहात योजना पशुओं की नस्ल बढ़ाने तक ही सीमित है?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां, श्रीमान्।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस योजना में स्थानीय पिंजरापोलों की स्थापना भी सम्मिलित है?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, यह तो एक निश्चित योजना है। हम ने इस योजना से सम्बन्धित पत्र एक से अधिक बार सदन पटल पर रखे हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कृत्रिम गर्भादान भी इस योजना का एक भाग है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इसका एक अंग है ।

पंडित समिति

*२०२४. **श्री राम दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि पंडित समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन की कंडिका ९९, १०० और १०१ में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाए हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): पंडित समिति की इस मुख्य सिफारिश को कि जामनगर में स्थानीय औषध प्रणाली के लिए एक केंद्रीय अनुसंधान संस्था खोली जाए सरकार ने मंजूर कर ली है। आशा है कि यह संस्था शीघ्र काम शुरू कर देगी। पंडित समिति के प्रतिवेदन की कंडिका १०० की सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित होनी हैं। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि राज्य सरकारों ने इसको कहां तक कार्यान्वित किया है। १०१ कंडिका सम्बंधी सिफारिश पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने इस वर्ष हैदराबाद में हुई अपनी बैठक में विचार किया था । परिषद किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुची और इस विषय पर विचार किया जाएगा।

परिवार आयोजन

*२०२५. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार परिवार-आयोजन का एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति बैठानी चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो समिति के कब बैठने की संभावना है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख) सरकार ने हाल ही में एक परिवार आयोजन अनुसंधान तथा कार्यक्रम समिति बैठाई है ।

डा० राम सुभग सिंह : अब तक इस कार्य के लिए कितने केंन्द्र खोले गये हैं और मैं जान सकता हूं कि इन केंद्रों में काम किस प्रकार चल रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : तीन केन्द्र काम कर रहे हैं, एक लोदी कोलोनी में, एक लेडी हार्डिञ्ज कालेज में और एक मैसूर के रामनगरम में । सभी केन्द्र प्रायोगिक अवस्था में हैं और अंतिम निर्णय १९५४ के बाद किया जाएगा ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को अपने नगर या देहात के औषधालयों में इस प्रयोजन मे उपबंध करने के सम्बन्ध में निदेश या अनुदेश देने की उपयोगिता पर विचार करेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमारे द्वारा बैठाई गई समिति के अंतिम निर्णय पर पहुंचने के बाद आवश्यक हुआ तो हम अनुदेश निकाल देंगे ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि इन औषधालयों में कौन-कौन से तरीकों पर प्रयोग चल रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एकमात्र तरीका मदन-तरंग प्रणाली ही है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी समितियां राज्य सरकारों में भी विद्यमान हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे ज्ञान नहीं ।

श्री डोरास्वामी : क्या गांवों में गर्भ निरोध औषधालय खोले जा सकते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : खोले जा सकते हैं ; किसी को आपत्ति न होगी ।

श्री नानादास : क्या मैं इस समिति के निर्देश-पद जान सकता हूं और यह अपना प्रतिवेदन कब तक भेजेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अब तक उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया ; कुछ हफ्तों में शुरू करने वाले हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति में इस सदन के सदस्यों को भी लिया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विशेषज्ञ समिति है ।

पठानकोट-जम्मू सड़क

* २०२६. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **यातायात मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २१ मार्च, १९५३ तक पठानकोट-जम्मू सड़क पर कुल कितना व्यय किया गया था ?

(ख) कुल लागत का कितना अंश जम्मू तथा काश्मीर राज्य से वसूल किया जाएगा और किन निबन्धनों पर ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) लगभग ३८७.१८ लाख रुपए ।

(ख) सड़क के उस भाग पर हुआ व्यय जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आता है, काश्मीर सरकार से वसूल होना है । ३१ मार्च, १९५३ यह ३२३.६३ लाख रुपया होता ह । वसूली की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : सड़क की कुल लम्बाई कितनी ह ?

श्री शाहनवाज़ खां : सड़क की कुल लंबाई ७२ मील है ।

श्री के० सी० सोधिया : काश्मीर राज्य सीमा में आने वाली लंबाई कितनी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : ६४ मील ।

श्री नानादास : अब तक कितनी दूरी पूरी हो चुकी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : समूची दूरी ।

राजस्थान में माल का ढेर

* २०२७. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सिंदरी कारखाने में उपयोग के लिए राजस्थान से नित्य १००० या अधिक टन आचूर्ण (जिप्सम) रेल से भेजा जाता है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान के अन्य औद्योगिक माल को ले जाने के लिए नियत किए गए सारे के सारे डिब्बे इस काम में लाए जाते हैं ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि इस के फलस्वरूप राजस्थान में माल के ढेर लग गए हैं और इस कारण व्यापार तथा उद्योग को परेशानी हो रही है ?

(घ) सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या पग उठाना चाहती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : हां, राजस्थान के जामसार और कावास से सिंदरी कृषिसार कारखाने के लिए नित्य २००० टन आचूर्ण भेजा जाता है, केवल रविवार को यह मात्रा १००० टन ही रहती है ।

(ख) नहीं, सारे डिब्बे नहीं, पर माल की लदान के लिए उपलब्ध डिब्बों का २५ प्रति शत ।

(ग) आचूर्ण ले जाने के लिए काम में लिए जाने वाले डिब्बों के इस प्रतिशतक के कारण अन्य माल यातायात ठीक नहीं रह सका है ।

(घ) संबन्धित छोटी लाइनों पर माल के डिब्बों और इंजनों की यथा-संभव वृद्धि करने के लिए पहले ही पग उठाए जा चुके हैं ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या सरकार को पता है कि बीकानेर डिवीजन में खाद्यान्न एक जिले से दूसरे जिले में न जा सकने के कारण दुर्भिक्ष-दशा बढ़ गई ? मैं जान सकता हूं कि इसके लिए कौन उत्तरदायी था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : खाद्यान्न तो आते जाते हैं । मेरे पास जनवरी, फ़रवरी, मार्च आदि के भी आंकड़े हैं । खाद्यान्नों का ध्यान नहीं छोड़ा जाता ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता । श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इन लाइनों पर ले जाए जाने वाले खाद्यान्न प्रतिमास मध्यमानतः कितने टन होते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

हैदराबाद में स्वयंचालित टेलीफोन एक्स्चेन्ज

*२०२८. **श्री कृष्णमाचार्य जोशी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हैदराबाद में नए स्वयंचालित टेलीफोन एक्स्चेन्ज खोलने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब ये एक्स्चेन्ज खोलने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) १९५४ में १४०० लाइनों का एक स्वयंचालित एक्स्चेन्ज सिकन्दराबाद में और १९५५ में उतना ही बड़ा एक और एक्स्चेन्ज सैफ़ाबाद में ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस योजना का काम बहुत पहले प्रारम्भ किया गया था । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इतनी देर कैसे हुई है ?

श्री राज बहादुर : भवन के निर्माण तथा सामान की प्राप्ति में देर लगी है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : श्रीमान्, क्या यह सच है कि सामान बम्बई पहुंचा था और यह बम्बई राज्य को दे दिया गया ?

श्री राज बहादुर : उसका कारण तो स्पष्ट था हैदराबाद में उपयुक्त भवन नहीं मिल रहा था ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि केन्द्र हैदराबाद राज्य का जो सामान लेगा, वह उस राज्य को वापिस कर दिया जायगा, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात की सम्भावना पर विचार करेगी कि इस सामान का मूल्य हैदराबाद राज्य में ही खर्च कर दिया जाय ?

श्री राज बहादुर : यह बात पहले ही हमारे ध्यान में है । हम सिकन्दराबाद में १४०० लाइनें लगायेंगे और १९५५ में ५४ लाइनें सिकन्दराबाद में लगाएंगे ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या टेलीफोन का सामान बम्बई से लौटा लिया जायगा ?

श्री राज बहादुर : इस का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

बन्दरगाहों से मिट्टी निकालने के विशेषज्ञ की रिपोर्ट

२०३०. **श्री नानादास : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बन्दरगाहों से मिट्टी निकालने के विशेषज्ञ श्री कारी-मर ने आंध्र क्षेत्र में किन किन बन्दर-गाहों का दौरा किया?

(ख) आंध्र क्षेत्र की बन्दरगाहों के सम्बन्ध में उन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

(ग) श्री कारीमर की सिफारिशों के अनुसार इन बन्दरगाहों से मिट्टी निकालने का काम कब शुरू किया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सम्भवत: संयुक्त राष्ट्र की ओर से भेजे गए विशेषज्ञ श्री कोरीमयर की ओर संकेत है जो हाल ही में एक अन्य विशेषज्ञ श्री पोरियर के साथ देश की महत्वपूर्ण छोटी छोटी बन्दरगाहों का दौरा कर चके हैं। उन्होंने आंध्र क्षेत्र में मसौलीपटम, काकिनाडा और विशाखा-पटनम नाम की बन्दरगाहों का दौरा किया है।

(ख) और (ग). इन विशेषज्ञों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लगेगा और इस रिपोर्ट के मिलने के बाद मसौलीपटम तथा काकिनाडा के सम्बन्ध में कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है।

श्री नानादास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन विशेषज्ञों के निरीक्षण से पहले इन बन्दरगाहों से मिट्टी निकालने का कोई काम किया गया था?

श्री अलगेशन : यह काम किया जा रहा है, परन्तु हमें इस से सन्तोष नहीं हैं। इसीलिए हमने इन विशेषज्ञों को परामर्श देने के लिए बुलाया है।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या इन विशेषज्ञों ने सारे पश्चिमी तट का दौरा किया है जहां कुछ छोटी बन्दरगाहें स्थित हैं?

श्री अलगेशन : पश्चिमी तट की कई बन्दरगाहों का निरीक्षण किया गया जिनमें अलेप्पी भी है।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ओंगोल के समीपस्थ कोठापटनम तथा श्रीकाकुलम ज़िले में मिम्लीपटम को इस योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया?

श्री अलगेशन : राज्य सरकार से परामर्श लिया गया था और उसने जिन बन्दरगाहों के नाम बताए थे, उन का निरीक्षण इन विशेषज्ञों ने किया था।

श्री रघुनाथ सिंह : हमारे पास मिट्टी निकालने की कितनी मशीनें हैं?

श्री अलगेशन : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री नानादास : इस समय मसौली-पटम और कोकीनाडा में कैसे जहाज़ ठहराए जा सकते हैं?

श्री अलगेशन : ये तो छोटी बन्दर-गाहें हैं।

भूतपूर्व एन० एस० रेलवे की आय

*२०३१. **श्री एंच० जी० वैष्णव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) केन्द्रीय सरकार ने लगभग ३ वर्ष पहले जब भूतपूर्व एन० एस० रेलवे (हैदराबाद राज्य) का प्रबन्ध सम्भाला था उस समय उस के परिसम्पत्त तथा दायित्व कितने थे;

(ख) इस रेलवे के मध्य रेलवे के साथ मिला दिए जाने के बाद इस की आय पहले की अपेक्षा बढ़ी है या कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी?

रेल तथा यातायात उपमंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) भूतपूर्व एन० एम० रेलवे के प्रबन्ध केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के समय, अर्थात १-४-१९५० को इस रेलवे के कुल परिसम्पत्त तथा दायित्व निम्नलिखित थे:—

परिसम्पत—२४·९७ करोड़ रुपये जमा ३२ हज़ार पौंड।

दायित्व : २६·८२ करोड़ रुपये जमा ३२ हज़ार पौंड।

ये आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा इन का प्रमाणीकरण होना है। यह भी हो सकता है कि हैदराबाद राज्य सरकार के साथ व्यापक निपटारे के फलस्वरूप इन में परिवर्तन कर दिया जाये।

(ख) ५-११-५१ के बाद भूतपूर्व एन० एस० रेलवे के मध्य रेलवे में विलीन किए जाने के बाद, इसी आय के अलग आंकड़े नहीं हैं क्योंकि नियमानुसार रेलों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अलग अलग शाखाओं की आय का हिसाब रखें; बल्कि उन्हें सारी रेल का इकट्ठा हिसाब रखना पड़ता है। इसलिए यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रोज़गार सम्बन्धी आंकड़े

***१९९९. श्री सिंहासन सिंह** : (क) क्या **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रोज़गार ढूंढने वालों, रोज़गार पाने वालों और बेकार रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में आंकड़े रखती है?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो १९५२ में निम्नलिखित श्रेणियों के कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए थे और कितने बेकार थे:

(१) बी० ए० तथा उस से अधिक पढ़े हुए;

(२) बी० ए० से कम पढ़े हुए;

(३) हाई स्कूल पास किए हुए; और

(४) टेकनीकल योग्यता वाले व्यक्ति।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) रोज़गार दिलाने के केन्द्र उन व्यक्तियों के आंकड़े रखते हैं जो रोज़गार चाहते हैं; जिन्हें रोज़गार दिलाया जाता है और जो बेकार रहते हैं और जिन के नाम इन केन्द्रों के रजिस्टरों में लिखे रहते हैं। ये आंकड़े प्रति मास प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख)

शिक्षा	उन की संख्या जिन्हें १९५२ में इन केन्द्रों ने काम दिलाया	उन की संख्या जो दिसम्बर-५२ के अन्त तक बेकार थे
(१) बी० ए० पास, जिन के पास एक या अधिक डिग्री है	५,३०१	१५,३५०
(२) इन्टर पास	३,३९२	११,९०२
(३) मैट्रिक पास	२५,३०७	९२,७६७
(४) अन्य	३,२३,९२८	३,१७,५५२
कुल संख्या ...	३,५७,८२८	४,३७,५७१

टेकनीकल योग्यता वाले व्यक्ति उपरोक्त चारों श्रेणियों में हैं, प्रत्येक श्रेणी में उन की अलग अलग संख्या उपलब्ध नहीं है ।

दरभंगा डाक सर्किल

*२००९. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक नई डाक डिवीज़न—दरभंगा डिवीज़न बिहार सर्किल से अलग करके बनाई गई है ?

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह नई डिवीज़न बनाई गई ?

(ग) इस डिवीज़न के अधीन कौन सा क्षेत्र है ?

(घ) क्या इस डिवीज़न का काम प्रारम्भ हो गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) यह अतिरिक्त डिवीज़न जिस का मुख्य कार्यालय दरभंगा में है, तिरहूत डिवीज़न में से बनाई गई है क्योंकि वह डिवीज़न बहुत बड़ी हो गई थी और उस के सुपरिन्टेण्डेंट को कुछ आराम देना आवश्यक था क्योंकि उस का काम पहले की अपेक्षा लगभग दुगना हो गया था ।

(ग) दरभंगा का सारा राजस्व जिला ।

(घ) जी, हां ।

चलते फिरते दवाख़ाने

*२०१८. **श्रीमती शकुन्तला :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते दवाख़ाने स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता के लिए किन राज्यों को चुना गया है ; और

(ख) १९५३-५४ में इस योजना के अधीन भारत में ऐसे कुल कितने दवाखाने स्थापित किए जायेंगे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख) . यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

रेलवे जोनल टिकिट

*२०३२. **श्री आर० सी० शर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सत्य है कि अप्रैल १९५३ में जोनल टिकिट जारी करने से रेल गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ हो जाने के परिणामस्वरूप, मध्य रेलवे में स्थानाभाव के कारण यात्रियों के टिकिट बन्द करने पड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो किन तिथियों को, और किन स्टेशनों पर ;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने १९५३ में भी जोनल टिकिट देना जारी रखा है ; तथा

(घ) यदि हां, तो यात्रियों को गाड़ियों में बैठने का स्थान देने के लिये क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, कुछ अवसरों पर ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जी हां, पहली से १६ मई, १९५३ तक के काल में ।

(घ) जहां जहां आवश्यकता पड़ी है वहां वहां रेलगाड़ियों में यथा सम्भव अधिकाधिक डिब्बे जोड़ दिये गए हैं।

गोरखपुर और कसया हवाई अड्डे

*२०३३. **श्री राम जी वर्मा**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोरखपुर और कसया (जिला देवरिया) के हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिये कोई नियमित व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक हवाई अड्डे पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है; तथा

(ग) गोरखपुर और कसया के हवाई अड्डों पर क्रमशः कितने व्यक्ति काम करते हैं?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). गोरखपुर हवाई अड्डे पर निगरानी के लिए चौकीदार रखे गए हैं तथा कटहरे की सामान्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था पर प्रतिवर्ष लगभग २००० रुपये लगते हैं। इस हवाई अड्डे पर सेवायुक्त व्यक्तियों की संख्या ८ है।

कसया हवाई अड्डे पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि यह हवाई अड्डा, जोकि भारतीय वायु सेना का है, प्रतिरक्षी सेवाओं की अपेक्षाओं के लिए फालतू घोषित किया गया है तथा धावन पथ को छोड़ के इसकी सारी परिसम्पत्त बेच दी गई है

गोरखपुर और कसया के हवाई अड्डों की भूमि में कृषि

*२०३४. **श्री राम जी वर्मा**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर और कसया के हवाई अड्डों की भूमि "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अधीन कृषि के लिए उठाई गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस से सरकार को प्रति वर्ष कुल कितनी आय होती है?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) सारी कृषियोग्य ज़मीनें जोकि वायुयानों के उतरने चढ़ने आदि के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम में नहीं लाई जा रही हैं, उन्हें खेती के लिए पट्टे पर दे दिया गया है।

(ख) गोरखपुर हवाई अड्डे से इस तरह से २८६४--४--० रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई है। कसया हवाई अड्डे के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

वनस्पति तेल

*२०३५. **श्री झूलन सिन्हा**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तिलहनों के उत्पादन तथा उपभोग के सम्बन्ध में अन्तिम वर्ष में जिसके लिए कि आंकड़े उपलब्ध हैं, स्थिति क्या थी?

(ख) १९५२--५३ के वर्ष में वनस्पति तेलों के निर्माण में भारत की तिलहन पैदावार का कितना भाग प्रयोग में लाया गया?

(ग) इसी काल में खाने के तेल के मूल्यों में तथा वनस्पति घी के मूल्यों में कितना अन्तर था?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) एक विवरण (संख्या १) जिसमें कि सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दिया जाता है।

(ख) मूंगफली के तेल तथा सरसों के तेल के अनुमानित उत्पादन के एक चौथाई भाग से कुछ अधिक।

(ग) एक विवरण (संख्या २) जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है। [(क) तथा (ग) के लिए, देखिये परिशिष्ट, ११, अनुबन्ध संख्या ५०]

अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लिये औद्योगिक ट्रेनिंग

१४०१. श्री भीखाभाई : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम मंत्रालय के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कुल कितनी सीटें रक्षित रखी गई हैं; तथा

(ख) क्या रक्षित सीटों का कोटा पूरा भर दिया गया है अथवा क्या यह दूसरी जातियों के लिए खुली छोड़ी गई हैं?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १९५०८ की कुल स्वीकृत सीटों में से साढ़े बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित रखी गई हैं तथा पांच प्रतिशत सीटें अनुसूचित आदिमजातीय उम्मीदवारों के लिए रखी गई हैं।

(ख) रक्षित कोटा केवल उसी हद तक दूसरों के लिए खुला छोड़ा जाता है जहां तक कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।

राजस्थान में खाद्याभाव

१४०२. श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सदन पटल पर, वह रिपोर्ट रखने की कृपा करेंगे जोकि राजस्थान के मुख्य मंत्री से वहां की खाद्य स्थिति तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): हमें १५-४-५३ को समाप्त होने वाले पखवाड़े के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसकी एक प्रति सदन पटल पर रख दी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या, ५१] मेरे मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव पहली तथा दूसरी मई को जयपुर में था तथा उसने अकाल सहायता सम्बन्धी राजस्थान सरकार की प्रस्थापनाओं के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त की है।

चित्तरंजन रेल इंजन फैक्टरी

१४०३. श्री तुलसीदास : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चित्तरंजन रेल इंजन फैक्टरी में (१) पूंजी उपकरण पर कितना व्यय हुआ है तथा (२) भूमि भवन तथा सामाजिक सुविधाओं पर कितना व्यय है?

रेल यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): फरवरी १९५३ तक निम्नलिखित व्यय हुआ है :---

१ पूंजी उपकरण ४,०७,६४,७०४ रुपये
२ भूमि भवन तथा सामाजिक सुविधाएं ७,५८,६९,९२८ रुपये

रेल कर्मचारियों के तबादले

१४०४. श्री जेठा लाल जोशी : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को यह विदित है कि तबादलों के कारण अथवा ऐसी जगह नियुक्त होने के कारण जहां कि शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, अधिकतर रेल कर्मचारी अपने बच्चों को ठीक शिक्षा नहीं दे पाते?

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारियों की इस कठिनाई के निवारण के लिए कोई व्यवस्था की है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रशासन के हित में अथवा पदोन्नति के कारण तबादले होते रहते हैं। विद्यमान नियमों में इस बात का उपबन्ध है कि यदि उनकी नियुक्ति ऐसे स्थानों में हो जहां कि ऐसा स्कूल न हो तो श्रेणी ३ के कर्मचारियों के बच्चों के भोजन तथा अध्ययन शुल्क के हाई स्कूल तक की शिक्षा का व्यय सरकार देती है। सरकार कुछ चुने हुए रेलवे केन्द्रों पर छात्रावास बनाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है जहां कि पार्श्वस्थित स्टेशनों पर नियुक्त श्रेणी ३ तथा ४ के कर्मचारी अपने बच्चों को आवश्यक शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज सकते हैं।

रेलवे जोनल टिकिट

१४०५. सरदार ए० एस० सहगल : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे शताब्दी के अवसर पर खरीदे गए 'जोनल' टिकिटों से प्रत्येक जोन को कितनी प्राप्ति हुई ?

(ख) कितने मुसाफिरों ने इन कंसेशन में सफर किया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). १ अप्रैल से १६ अप्रैल, १९५३ के बीच बच्चों और बड़ों के प्रत्येक जोन पर बिके टिकिटों की संख्या इस प्रकार है:

मसाफिर

रेलवे	बड़े	बच्चे	योग	प्राप्ति
				रुपये
केन्द्रीय	६८,४३७	५,११३	७३,५५०	२१,२९,८०५
दक्षिण	१९,५००	१.०७४	२०,५७४	६,१०,११०
पश्चिमी	१७,३२२	१,०१२	१८,३३४	५,५४,८४०
पूर्वी	७,५४३	३२३	७,८६६	२,३१,१३५
उत्तरी	६,१५४	२०३	६,३५७	१,८७,६६५
उत्तर पूर्वी	१,५९३	२७	१,६२०	४,८१,८९५
योग ..	१,२०,५४९	७,७५२	१,२८,३०१	३७,३२,७५०

दो बच्चों की एक टिकिट मानते हुए—
कुल बिक्री शताब्दी टिकिटों की संख्या १,२४,४२५

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता

१४०६. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत भारत को कितना गेहूं दिया जाएगा ; और

(ख) गेहूं का तटागत मूल्य (रुपयों में) ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) १ अगस्त से ३१ जुलाई तक भारत को १५ लाख मेट्रिक टन गेहूं दिया जाएगा।

(ख) भाड़े तथा मूल्य की वर्त्तमान दर के आधार पर भारत में तटागत गेहूं का मूल्य लगभग १५ रु० १० आने प्रति मन होगा।

अमरीकी टेकनीकल सहकार समझौता

१४०७. **श्री तेलकीकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २००० कुएं बनवाने की भारत-अमरीकी टेकनीकल सहकार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने कुएं खोदे जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) टेकनीकल सहकार योजना के अंतर्गत कुएं बनवाने की योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, और पेप्सू को चुना गया था क्योंकि भूमिगत पानी के विकास की दशाएं सिन्धु-गंगा के मैदान में अधिकता से विद्यमान हैं जहां कि ये राज्य स्थित हैं ।

मंसी-सहरसा रेलवे लाइन

१४०८. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का उत्तर पूर्वी रेलवे की मंसी-सहरसा रेलवे लाइन को सब मौसमों में काम करने वाली करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे लाइन के कब तक सर्व-मौसमी हो जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फोर्बसगंज रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय

१४०९. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को लोगों से बिहार के उत्तर-पूर्वी लाइन पर स्थित फोर्बसगंज रेलवे स्टेशन पर उच्च तथा तीसरी श्रेणियों के प्रतीक्षालय बनाने सम्बन्धी प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । केवल उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने के सम्बन्ध में प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे । तीसरी श्रेणी का प्रतीक्षा-हाल वहां पहले से मौजूद है ।

(ख) १९५३-५४ के निर्माण-कार्यक्रम में फोर्बसगंज में एक उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय के निर्माण का भी उपबन्ध है ।

जमईदतला कोयला-खदान, चिनवारा का बन्द होना

श्री विट्टल राव : क्या **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चिनवारा ज़िला, मध्य प्रदेश, की जमईदतला कोयला-खदान ८ फरवरी, १९५३ से बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ;

(ग) कितने मज़दूर बेकार हो गए हैं ;

(घ) क्या यह सत्य है कि मज़दूरी, बोनस तथा अन्य देय उन्हें नहीं दिया गया जिस के परिणाम-स्वरूप एक मज़दूर की भूख से मृत्यु हो गई ; और

(ङ) प्रादेशिक श्रम आयुक्त, नागपुर द्वारा विवाद को निबटाने के लिए क्या पग उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ऐसा समझा जाता है कि यह कोयला खदान ९ फरवरी १९५३ से बन्द है।

(ख) इसके बन्द होने का कारण व्यवस्थापकों की प्रशासनात्मक तथा वित्तीय कठिनाइयां हैं।

(ग) लगभग १७० मज़दूर।

(घ) जी हां, मज़दूरों को मजूरी, बोनस आदि नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि एक मज़दूर भुखमरी से मर गया।

(ङ) मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की धारा १५ के अंतर्गत न्यायालय में अर्जी दे दी गई है। प्रादेशिक श्रम आयुक्त भी समझौता कराने के लिये क्रियाशील रूप से प्रयत्न कर रहा है।

सोमवार,
११ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, ११ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

(१) संघनित विवरण
(देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध १)

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १
(देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध १)

(३) अनुपूरक विवरण संख्या २
(देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध २)

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ३
(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध २९)

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ७
(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध २८)

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ५
(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध २७)

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ४
(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध २६)

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ७
(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध २५)

(९) अनुपूरक विवरण संख्या ६
(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध २४)

सदन पटल पर रखे गए पत्र

विवरण जिन में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों आदि पर की गई कार्यवाही दी गई है

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं विभिन्न सत्रों में सरकार द्वारा दिये गए आश्वासनों, वचनों आदि पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित निम्न-लिखित विवरण सदन पटल पर रख देता हूं :

लोक सभा का तीसरा सत्र, १९५३।

लोक सभा का दूसरा सत्र, १९५२।

लोक सभा का पहला सत्र, १९५२।

अन्तर्कालीन संसद का पांचवा सत्र, १९५२।

अन्तर्कालीन संसद का चौथा सत्र १९५१।

अन्तर्कालीन संसद का तीसरा सत्र (दूसरा भाग) १९५१।

अन्तर्कालीन संसद का तीसरा सत्र (पहला भाग) १९५०।

अन्तर्कालीन संसद का पहला सत्र, १९५०।

भारतीय संविधान सभा (विधायिनी) का नवम्बर दिसम्बर सत्र १९४९।

कर्मचारी राज्य-बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखे तथा संशोधित बजट

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत सदन पटल पर निम्न-लिखित पत्रों की एक एक प्रति रख देता हूं :—

(१) १९५१-५२ के लिए कर्मचारी राज्य-बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखे। [**पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या ४—ओ०—७ (१७)**]

(२) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का १९५२-५३ के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन तथा १९५३-५४ के लिए बजट प्राक्कलन। [**पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या ४—ओ०—७ (२०)**]

समिति-निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

यह सदन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १९८ के उप-नियम (२) के अन्तर्गत निर्धारित विधि द्वारा वर्ष १९५३-५४ के लिए प्राक्कलन समिति के लिए अपने में से २५ सदस्यों का निर्वाचन करे।"

[उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया]

लोक लेखा समिति

श्री सत्य नारायण सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि : —

"यह सदन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १९७ के उप-नियम (१) के अन्तर्गत निर्धारित विधि द्वारा वर्ष १९५३-५४ के लिए लोक लेखा समिति के लिए अपने में से १५ सदस्यों का निर्वाचन करे"।

[उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को सूचना देनी है कि उक्त समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य-क्रम निश्चित किया गया है :—

(१) नामनिर्देशन पत्र मंगलवार, १२ मई १९५३ के १२ बजे दोपहर तक संसदीय सूचना कार्यालय में पेश किये जाने चाहियें।

(२) उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से सम्बन्धित पत्र बुधवार, १३ मई १९५३ के १२ बजे दोपहर तक संसदीय सूचना कार्यालय में पेश किये जाने चाहिये।

(३) निर्वाचन, यदि आवश्यक हों, शुक्रवार १५ मई १९५३ को कमेटी रूम नम्बर ६२, संसद भवन में साढ़े आठ बजे प्रातः से लेकर ग्यारह बजे दिन तक होंगे।

विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: सदन अब विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह मानता हूं कि इन सदस्यों को एक दुःसह स्थिति उत्पन्न होने के कारण अनर्हत किया गया है। परन्तु यह एक कानूनी कहावत है कि मुश्किल मामले ही खराब कानूनों को जन्म देते हैं। मैं उस समय

सदन में उपस्थित नहीं था जब कि महान्यायवादी इस विषय पर यहां बोले। किन्तु समाचारपत्रों मे मुझे जो कुछ सूचना मिली उस मे मुझे कुछ ऐसे लगा कि उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण मे अपने तर्क दियें हैं।

कुछ सदस्यों ने यह सवाल भी उठाया था कि यह विधेयक संविधान का एक अप्रत्यक्ष संशोधन है तथा राष्ट्रपति ने संविधान के अन्तर्गत इस अधिकार को प्रयोग में लाया है तथा संविधान राष्ट्रपति की पदवी को उच्चतम तथा अन्तिम बनाता है। न ही गृह मंत्री ने और न ही महान्यायवादी ने इस तर्क का कोई उत्तर दिया। महान्यायवादी ने इस सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं वह मेरे विचार में रक्षणीय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अन्तर्गत कार्यवाही न करके भाग ग राज्य प्रशासन अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत कार्यवाही की है। मुझे इस बात में उन से मतभेद है। मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति न निश्चित रूप मे संविधान के अनुच्छेद १०३ के अन्तर्गत काम किया है। इस अनुच्छेद को छोड़ कर कहीं भी और इसका उपबन्ध नहीं रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाग ग राज्य प्रशासन अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने इस अधिकार को प्रयोग में लाया है? इस में राष्ट्रपति के किसी ऐसे अधिकार का, जिसका उद्देश्य सदस्यों को पदच्युत करना है कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा १७ एक गौण धारा है जो कि न केवल संविधान के अनुच्छेद १०२ को आकर्षित करती है अपितु अनुच्छेद १०३ को भी करती है। यह उपबन्ध प्रधान हैं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद हैं। तो यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद १०२ तथा १०३ के अन्तर्गत इन व्यक्तियों को अनर्हत करने की शक्ति का प्रयोग किया है। यह दृष्टिकोण भी कानून की दृष्टि में समानरूप से मान्य हो सकता है।

यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाय कि राष्ट्रपति को भाग ग राज्य प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अनर्हत करके उसे पदच्युत करने का अधिकार है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका अर्थ यह निकलेगा कि इस सदन के सदस्य तथा भाग क तथा भाग ख राज्यों के विधान मंडलों के सदस्य पूर्णतयः संविधान द्वारा अधिशासित हैं। उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है तथा उसका निश्चय अन्तिम होगा। किन्तु भाग ग राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्य संविधान से ऊपर होंगे। राष्ट्रपति को इनके सम्बन्ध में वही अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो कि उन्हें वरिष्ट सदनों के बारे में प्राप्त हैं। कानून की दृष्टि मे यह एक अरक्षणीय प्रस्थापना है।

महान्यायवादी नें ब्रिटिश प्रथाओं की ओर निर्देश किया। किन्तु हमारे तथा उन म काफी अन्तर है। उनका कोई लिखित संविधान नहीं तथा उन्हें इस सम्बन्ध में कोई पावन्दी नहीं इंगलैंड के बादशाह को सदस्यों को अनर्हत करनें के सम्बन्ध में वह निश्चित अधिकार प्राप्त नहीं जो कि हमारे राष्ट्रपति को हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी प्रथाओं की ओर यहां निर्देश करना बेकार है।

मैं इस विधेयक का सिद्धान्त के आधार पर भी विरोध करता हूं। सरकार अब सत्ता से मदमस्त होकर कानून की अधिकाधिक अवहेलना कर रही है। यहां हमारा

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

उद्देश्य क्या है ? हम केवल एक विधान मंडल के १२ सदस्यों को बचाना चाहते हैं, अथवा उन्हें पुनःस्थापित करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि इसकी तह में राजनीतिक इरादे है। हम कानून की गरिमा के सिद्धान्तों को हल्का कर रहे हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि यह शायद टैक्नीकल अनर्हता है तथा इस में कोई दुर्भाव नहीं। परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि एसा कोई भी मामला नहीं जिसकी कि इसके साथ तुलना की जा सकती है। यदि हमें कानून बनाना है तो यह सिद्धान्त के आधार पर बनाना होगा। हमें इस बात से कोई वास्ता नहीं कि क्या इस में एक व्यक्ति ग्रस्त है अथवा १२ व्यक्ति। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। क्या हमें महान्यायवादी यह आश्वासन दे देंगे कि यदि भाग ग राज्यों का कोई सदस्य इसी प्रकार के कारणों के लिए अनर्हत होगा तो उसके लिए ऐसा ही क्षतिपूर्वक विधान बनाया जायगा ? मेरा विचार है कि हम इस सिद्धान्त को तिलांजलि दे रहे हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक असुविधा में फंस गई है। परन्तु राजनीतिक असुविधा विधान बनाने का कोई हेतु नहीं हो सकता है। हमें संविधान के मूल सिद्धान्तों तथा विधान के मूल सिद्धान्त को भंग न करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

हम यह बताया जाता है कि यह विधेयक एक दुःसह स्थिति से सम्बन्ध रखता है इसलिए इसे स्वीकृत किया जाना चाहिये। लेकिन एसे ही अन्य मामलों के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ? यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो इस आदेशिका का अन्त कहां होगा ? सदन के पास ऐसे सैंकड़ों मामले आ सकते हैं। आप उनको इस अधिकार से कैसे वंचित रख सकते हैं, यही मैं पूछता हूं। यदि सरकार यह कहेगी कि वह हर ऐसे मामले के सम्बन्ध में विधान बनायगी तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं नहीं समझता हूं कि गृह मंत्री जी हमें ऐसा कोई आश्वासन दे देंगे। यदि वह यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं, तो मैं उनसे केवल यही निवेदन करूंगा कि हमें सिद्धान्त के आधार पर अपना विधान बनाना चाहिये अन्य किसी आधार पर नहीं।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में माननीय होम मिनिस्टर की ओर से जो यह विधेयक पेश किया गया है उसका मैं घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में जो नवीदित लोकशाही पैदा हुई है यह बिल उसकी भूण हत्या करने वाला है इसलिए मेरा उससे विरोध है।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : भूण हत्या कैसे हो सकती है। वह तो पैदा हो चुका है।

डा० एन० बी० खरे : अगर भूण हत्या नहीं कहना चाहते हैं तो कत्ल कहिये। इससे श्री गाडगिल का समाधान हो जायगा।

तो यह बिल हमारे उस कांस्टीट्यूशन के खिलाफ बगावत या गदर करने वाला है जो कि अभी दो साल हुए बना है। इसलिए मैं उसको गद्दार बिल कहता हूं।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : बहुत ठीक।

डा० एन० बी० खरे : इसके अलावा यह लोकशाही का गला घोटने की हिमाकत

करता है इसलिए मैं इसको हिमाकती बिल कहता हूं ।

मुझे बड़ा दुःख होता है कि ऐसा बिल यहां लाया गया । एक ओर तो मुझे दुःख होता है लेकिन दूसरी ओर मुझे थोड़ा आनन्द भी होता है । वह इस वास्ते कि यह हमारी सैक्यूलर या शेख्युलर सरकार हमारी हजारों वर्षों की पुरानी जो वैदिक संस्कृति है, दन्त कथा है, उसका पुनरुज्जीवन इस बिल को ला कर कर रही है । आप जानते हैं कि वेदों के अन्दर देवों और दैत्यों के बीच घमासान युद्ध की चर्चा है । उस युद्ध में दैत्यों के गुरु के पास, दैत्य गुरु, शुक्राचार्य के पास संजीवनी महा मन्त्र था । उस के द्वारा जो दैत्य युद्ध में प्राण खो बैठते थे, उन को वह जिला दिया करते थे । इसलिये देव बेचारे लाचार हो गये थे ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : दैत्य कौन थे, और देव कौन थे ?

डा० एन० बी० खरे : वह आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है । मैं समझता हूं कि आप में इतना कामनसैन्स है :

तो जैसे दैत्य गुरु ने मरे हुए वीरों को जिलाया था, ऐसे ही फिलहाल इस हाउस में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जिन की सदस्यता मरी हुई है, उन की सदस्यता को फिर से जिलाने की यहां यह कोशिश हो रही है । तो वही पुराने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समान यहां यह दैत्य गुरु हैं ।

शुक्राचार्य शराब भी पीते थे । ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि यह दैत्य गुरु भी शराब पीते हैं, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि दैत्य गुरु के दिमाग में पावर एलकोहल चढ़ गया है, इसलिये यह बिल यहां पर लाया गया है । पावर एलकोहल चढ़ गया है, सत्ता का मद, चढ़ गया है, मैं ऐसा कहता हूं । पता नहीं आप को मालूम है कि नहीं, हिन्दी में एक दोहा है । अमीं हलाहल मद भरे.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य महान्यायवादी का निर्देश कर रहे हैं ?

डा० एन० बी० खरे : नहीं श्रीमान्, मैं यह कह रहा हूं कि ....

श्री सैय्यद अहमद : वे राजकीय भाषण दे रहे हैं ।

डा० एन० बी० खरे : मुझे वह अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि महान्यायवादी विशेष रूप में यहां उपस्थित हैं । जब सदन चाहेगा तब हमें परामर्श देने का और जब सरकार चाहेगी तब अपनी राय सदन के सामने रखने का उन्हें अधिकार है ।

श्री गाडगील : वे महान्यायवादी का निर्देश नहीं कर रहे हैं ।

डा० एन० बी० खर : मैं गृह-कार्य मंत्री जी का निर्देश कर रहा हूं, श्रीमान् ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं सदैव आपकी सेवा में हाजिर हूं ।

डा० एन० बी० खरे : यदि आप शुक्राचार्य हैं तो मैं बृहस्पति हूं ।

यहां एक कविता कही गयी थी, मैं भी एक कविता कहता हूं :

अमीं हलाहल मद भरे,
श्वेत श्याम रत नार ।
जिअत, मरत, झुकि झुकि परत,
जेहि चितवत एक बार ।।

बाबू रामनारायण सिंह : मतलब कहिए।

डा० एन० बी० खरे : यह जो हमारी कांग्रेस की ब्यूरोक्रैसी है, इस की मैं एक मद भरे नयनों वाली नव युवती से तुलना करता हू । उस की आंख में तीन चीजें होती हैं, सफ़ेद, काला और लाल । सफ़ेद तो अमृत भरा है, जैसे अमीं । काला जो है वह जैसे हलाहल भरा है, विष । और लाल जो है वह जैसे मद भरा हो, मधु । यह ऐसी एक ब्यूरोक्रैसी है । वह जिस की तरफ़ प्रसन्न हो, तो अमृत वर्षा होती है और मरा हुआ आदमी ज़िन्दा हो जाता है । और हमारे सरीखों की तरफ़ हलाहल की वर्षा होती है तो अगर हम ज़िन्दा भी हैं तो मर सकते हैं । और किसी दोस्त की तरफ़ ज़रा टढ़ी आंख करे, मद भरी तो वह तो झुक झुक पड़ता है, जैसे शराब के नश में आदमी झुक झुक पड़ता है । ऐसी यह कांग्रेस की नौकरशाही है । इसलिये मैं इस को बधाई देता हूं, इस बिल को लाने के लिये । बिल का विरोधतो मैं करता हूं, लेकिन ज़रा मज़ा भी आता है।

ऐसी हालत में मेरा यह कहना है कि यह बिल नहीं लाना चाहिये । जो बिल कि हमारे प्रैसीडैंट की तौहीन करता है उस को नहीं लाना चाहिये। जो बिल हमारे कांस्टीट्यूशन को ठुकरा देता है, इस को पांव तले कुंचलता है, उस को नहीं लाना चाहिये ।

हम से कहा गया कि प्रैसीडैंट ने सैक्शन १७ विन्ध्य प्रदेश एक्ट के मुताबिक काम किया है, इसलिये यह विधेयक लाया गया है । उस के ऊपर जब प्रश्न किया गया तो कहा जाता है कि इस में प्रैसीडैंट की कोई तौहीन नहीं होती है । मैं पूछना चाहता हूं कि इंडियन सट्रल रेलवे के ब्राड गेज पर अगर प्रैसीडैंट सफर करते हों तो उन के ऊपर आप फूल की वर्षा करेंगे और उसी सैंट्रल रेलवे के ऊपर यदि वह उसके विन्ध्य प्रदेश नैरो गेज ब्रांच पर जाते हों तो क्या आप उन पर बम बरसावेंगे ।

डा० काटजू : क्या दलील है ?

डा० एन० बी० खरे: मैं अपने एटारनी जनरल का सम्मान करता हूं इसलिये मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। उन का हमारा कोई वास्ता भी नहीं क्योंकि वह कोई पोलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं । लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि जो आर्गूमेन्ट एटारनी जनरल ने हाउस के सामने पेश किये उन को उस दिन हमारे शेरे बंगाल ने तीन सवालों में टॉर्न कर दिया । तीन सवालों में ऐटारनी जनरल को हमारे शेरे बंगाल ने चारों खाने चित कर दिया जैसे कि एक सिनेमा है "तीन बत्ती चार रास्ता" ऐसे ही हो गया । हम यह देखते हैं कि सरकार ने पहले ही से पेशबन्दी की थी कि इस बिल का कानूनी तौर पर कड़ा विरोध किया जायेगा, और सरकार तो बड़ी होशियार है, उस ने पहले से ही ऐटारनी जनरल को यहां बुला लिया । लेकिन मैं ऐटारनी जनरल को कोई खास महत्व नहीं देता । वह सरकारी नौकर हैं । और उस की ताली जरूर बजायेंगे । लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस के पक्ष में मत दें या न दें ।

तना ही मुझे कहना है और इतना कह कर और इस बिल का घोर विरोध कर के मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं ने महानियुक्तक के तर्कों को तथा गृह कार्य मंत्री के प्रस्ताविक व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना है । मुझे आश्चर्य तो उन परिस्थितियों

पर होता है जिनमें यह विधयक लाया गया है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। गृहकार्य मंत्री ने स्वयं बताया है कि, नियुक्ति के एक आदेश के अनुसार विन्ध्य प्रदेश सभा के सदस्यों से, कुछ समितियों में उस सरकार की सहायता करने के लिये कहा गया तथा उन को कुछ धनराशि भत्ते के रूप में दिये जाने के लिये भी कहा गया। वास्तव में इस में कोई सन्देह नहीं है कि यह नियुक्ति राज्य द्वारा की गई है तथा यह अर्थलाभ के पद की नियुक्ति है। अतः इस में कोई सन्देह नहीं कि विन्ध्य प्रदेश सभा के यह सदस्य राज्य सरकार के अन्तर्गत अर्थलाभ के एक पद पर नियुक्त हैं तथा अनर्हता भोगी हैं। तब यह मामला राष्ट्रपति के सामने निर्णय के लिये लाया गया क्योंकि भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम के अनुसार अधिकार राष्ट्रपति में अधियोजित हैं। दुर्भाग्य से अधिनियम में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई सदस्य अनर्हता भोगी है या नहीं इस का निर्णय कौन करेगा। अधिनियम की धारा ४३ में राष्ट्रपति को कोई सन्देह दूर करने के लिये तथा अनर्हता निवारण के लिये आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने आदेश निर्गम किया कि खण्ड 'ग' राज्य शासन अधिनियम की धारा १७ में विधान का अनुच्छेद १०३ समाविष्ट कर लिया जाय। इस का अर्थ यह है कि इस मामले का निर्णय करने के लिये राष्ट्रपति को उन अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा जो इस धारा के अनुसार उन में अधियोजित हैं और तब अधिनियम का संशोधन करना पड़ा। मैं कहना यह चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने इस अधिनियम के अनुसार जिन अधिकारों का प्रयोग किया है वे विधान के अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत आते हैं। अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने जिन अधिकारों का प्रयोग किया है--यद्यपि उसका प्रभाव यह है कि विधान का संशोधन हो गया है -- उन से विधान का संशोधन हो गया है क्योंकि अनुच्छेद २४० (२) में प्रावधान है कि ऐसे संशोधन के लिये अनुच्छेद ३६८ लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हालांकि विधान के किसी अनुच्छेद का संशोधन करने के लिये एक विशेष प्रक्रिया दी गई है, फिर भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि ऐसा आदेश निर्गम करे जिस का प्रभाव, वास्तव में. विधान का संशोधन हो। यदि आपको यह बात स्वीकार्य है तो इस की सीमा तक विधान का संशोधन हो चुका है। अब यदि यह संसद विधान का संशोधन करना चाहता है तो इसको अनुच्छेद ३६८ के अनुसार ही करना होगा इस लिये इस संसद् को अधिकार नहीं है कि जब तक उस विशेष प्रक्रिया का पालन न करे वह राष्ट्रपति के किसी ऐसे आदेश का संशोधन करे जिस के प्रभावस्वरूप अनुच्छेद २४० (२) के अनुसार विधान का संशोधन हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या राष्ट्रपति धारा ४३ के अनुसार खण्ड 'ग' राज्य को खण्ड 'क' तथा 'ख' राज्यों की श्रेणी में नहीं ला सकता है ? क्या संसद अनुच्छेद १०२ (१) (क) के अनुसार भविष्य के लिये ऐसी अनर्हता का निवारण नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति तो केवल महानियुक्तक के कथन का समर्थन, एक न्यायालय के समान कर देता है। राष्ट्रपति विधि के अनुसार ही कार्य कर सकता है परन्तु संसद विधि को बदल सकता है और कह सकता है कि एक विशेष पद अर्थ लाभ का पद नहीं है। संसद से ठीक यही करने के लिये कहा गया है।

श्री राघवाचारी : मैं यही कहना चाहता था कि धारा ४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति का यह आदेश खण्ड 'ग' राज्यों को खण्ड 'क' तथा 'ख' राज्यों की श्रेणी में रख देता है। इस का अर्थ है कि उक्त विधि विधान का एक अंग हो गया है। इस का अर्थ है कि यह उतना ही मान्य है जितना विधान का कोई अन्य अनुच्छेद।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता हूं कि क्या राष्ट्रपति कोई ऐसी विधि बना सकता है जो विधान का अंश हो जाय ?

श्री राघवाचारी : विधान का अनुच्छेद २४० केवल इतना कहता है कि यदि राष्ट्रपति कोई ऐसा आदेश निर्गम जिस के प्रभाव स्वरूप विधान में कोई संशोधन हो जाता हो तो, यद्यपि वह अनुच्छेद ३६८ की प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है, फिर भी वह विधान का अंश बन सकता है। अनुच्छेद २४० का उप खण्ड (२) केवल यही कहता है कि उसका प्रभाव ऐसा ही होता है जैसे वह विधान का संशोधन हो।

मैं यह नहीं कहता हूं कि यह स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है कि विधि संघ वैसा ही बना रहेगा जैसा बन गया है। मैं तो केवल प्रक्रिया के सम्बन्ध में कह रहा हूं कि उस को कौन कर सकता है। यह उचित रूप से राष्ट्रपति का ही विशेषाधिकार है। धारा ४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति से एक और आदेश निर्गम करने को कहा जा सकता है यदि अनुच्छेद ३६८ की प्रक्रिया का पालन नहीं करना है परन्तु यदि संसद यही कार्य करना चाहता है तो उसे अवश्य ही अनुच्छेद ३६८ की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद के एक अधिनियम द्वारा संचालित एक खंण्ड 'क' राज्य पर एक अनुच्छेद का प्रयोग करने का क्या यह अर्थ है कि विधान ही में परिवर्तन हो गया या खण्ड 'ग' राज्य खण्ड 'क' राज्य में बदल गया। अड़चनों को दूर करने के लिये विधान का एक अनुच्छेद, संसद् के एक अधिनियम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इस मामले में उसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। क्या इस का अर्थ है कि विधान में कोई परिवर्तन हो गया ?

श्री राघवाचारी : अनुच्छेद २४० (२) के कारण इस का यही प्रभाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद २४० (२) केवल इतना कहता है कि यदि विधान पर कोई प्रभाव पड़े तथा उसमें कोई परिवर्तन हो जावे तो भी साधारण प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक न होगा।

श्री राघवाचारी : विधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग किये बिना उस का वैध प्रभाव वही होता है जो संशोधित विधान का होगा। वह आदेश मान्य होगा तथा प्रयोग किये जाने योग्य होगा उस आदेश को विधि के अनुसार ही बदला जा सकता है। सरकार, इस प्रश्न को संसद् के सामने लाने के बजाय, राष्ट्रपति को सलाह दे सकती थी तथा उन से कह सकती थी कि वह अपने पुराने आदेश को बदल दें।

मैं सदन के सामने इस मामले का संक्षिप्त इतिहास रखना चाहता हूं। जहां तक मेरा विचार है यह मामला अक्तूबर १९५२ में राष्ट्रपति के सामने निर्णय के लिये रखा गया था। लगभग तीन मास तक इस पर कोई विचार ही नहीं किया गया। हो सकता है विधि मंत्रालय तथा राज्य मंत्रालय ने परस्पर विपरीत विचार प्रकट किये हों। अन्त में राष्ट्रपति को अपने अधिकारों का प्रयोग

करना पड़ा हो तब उन्हें ज्ञात हुआ हो कि इस अधिनियम में उनको ऐसे अधिकारी को निश्चित करने का अधिकार नहीं दिया गया है जिसके द्वारा इस मामले का निर्णय किया जाय तब उनको धारा ४३ के अनुसार कार्य करना पड़ा। उन्होंने इस मामले को निर्वाचन आयोग के सामने भेजा। वहां यह बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि यह अर्थलाभ का पद नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो विधेयक में ही स्वीकार्य है कि यह अर्थ लाभ का पद है।

श्री राघवाचारी : मैं तो कारण बता रहा था कि किस कारण से सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि राष्ट्रपति से विधि संशोधन करने के लिये कहा जाय। राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार था तथा वे बड़ी सुगमता से ऐसा कर सकते थे। परन्तु उन्होंने इस कष्टसाध्य प्रक्रिया की शरण ली है तथा अब वे वैध तरकों द्वारा उसको बल पहुंचाना चाहते हैं। जब निर्वाचन आयोग ने अपना निर्णय दे दिया तो राष्ट्रपति का आदेश जारी हो गया तथा विन्ध्य प्रदेश सभा के सदस्यों को सूचित कर दिया गया। मेरी सूचना है कि सभा के अध्यक्ष द्वारा २ अप्रैल को उन को बता दिया गया कि वे सदस्य नहीं रहे। बड़े आश्चर्य की बात है कि १ अप्रैल को ही यह विधेयक यहां पर पुरः स्थापित कर दिया गया। इस से प्रकट होता है राष्ट्रपति के अधिकारों तथा सरकार के अधिकारों के बीच में कोई द्वन्द चल रहा है। किसी के दिमाग़ में ऐसा विचार उत्पन्न हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। १९५२ के तीन मास तथा १९५३ के पांच मास इस मामले में लग गये। सरकार ने प्राथमिक स्थिति में ही इस विधि के संशोधन करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? ऐसा जान पड़ता है कि यह सारा समय यही तै करने में लग गया कि यह अर्थलाभ का पद है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वास्तव में संदेह का स्थान नहीं था कि ५ रुपया प्रतिदिन के भत्ते के कारण यह अर्थलाभ का पद हो सकता है?

श्री राघवाचारी : विधि की दृष्टि में एक पाई का लाभ भी पर्याप्त है। विधि की दृष्टि में यह अनर्हता है। निर्वाचन आयोग के निर्णय के बाद इस में किसी वाद विवाद की गुंजायश नहीं है अब यह अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है कि सभा के सदस्य अनर्हता भोगी हैं तथा वे सदस्य नहीं बने रह सकते। इस सम्बन्ध में अनच्छेद १०३ बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा कहना है कि यदि यह निर्णय हो जावे कि अनुच्छेद १०३ के अनुसार कोई सदस्य अनर्हता भोगी है तो अनुच्छेद १०२ के अनुसार इस का एक ही परिणाम होगा कि वह सदस्य नहीं रह सकता।

महानियुक्तक के तर्कों का भावार्थ यह है कि खण्ड 'ग' राज्य, खण्ड 'ग' राज्य शासन अधिनियम द्वारा संचालित होते हैं तथा उस अधिनियम की शक्ति का श्रोत संसदीय विधि निर्माण हैं अतः जो कुछ भी उस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाय उसको संसद् पलट सकता है। महा नियुक्तक ने इतना ही नहीं कहा वरन् यह भी कहा कि यह वैधानिक रूप से उचित है। मैं अनुभव करता हूं कि महानियुक्तक को अपने को वैधायिनी स्थिति तक ही सीमित रखना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या महानियुक्तक के अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध लागू है?

श्री राघवाचारी : अनुच्छेद ८८ कहता है कि उन्हें बोलने का अधिकार है। प्रतिबन्ध केवल इतना ही है कि वे मत नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाई में भाग लेने के लिये उनके अधिकार वैसे ही हैं जैसे एक मंत्री के!

श्री राघवाचारी : मेरा कहना है कि यदि वे अपनी स्थिति वही समझेंगे जो एक मंत्री की है तथा उसी की भांति किसी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे तो वे, ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति नहीं रहेंगे जिसके परामर्श को प्राप्त करने तथा उस पर विचार करने का सदन को अधिकार है। उन्होंने केवल यही नहीं कहा कि यह विधेयक वैध है वरन् उन्होंने लंका तथा इंग्लैण्ड के भी दृष्टान्त दिये जहां कि संसद् तथा लोक सभा को ऐसे ही अधिकार प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो विशेष प्रक्रिया निर्धारित है ,उस का पालन करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि लंका तथा इंग्लैण्ड के उदाहरण हमारे यहां के विधायिनी ढांचे पर लागू नहीं किये जा सकते। इंग्लैण्ड में कोई लिखित विधान नहीं है तथा निर्वाचन के संचालन की सारी प्रक्रिया की बाग-डोर भी लोक सभा के ही हाथ में है जब कि हमारे विधान में---निर्वाचन आयुक्त---एक सर्वथा स्वतन्त्र व्यक्ति पर इसका भार रक्खा गया है, जो किसी रूप में भी सरकार के आधीन नहीं है। वह तो केवल संसद् के आधीन है। हम ही केवल उस पर दोष लगा सकते हैं, उससे प्रश्न कर सकते हैं तथा उस को पदच्युत कर सकते हैं। परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर सकती है।

जैसे ही सदस्यों को राष्ट्रपति का अनर्हता का अन्तिम आदेश सूचित किया गया २ अप्रैल को वे सदन से उठ कर चले गये। अब वे सभा के सदस्य नहीं रहे। इस के बाद अब यह निर्वाचन आयुक्त का विशेष अधिकार है कि वह फिर से निर्वाचन करावे तथा उन रिक्त स्थानों को पूरा करे। इस प्रकार रिक्त होने वाले स्थानों को भरने का अधिकार उन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के मत-दाताओं को प्राप्त हो चुका है। मत क्या है यदि वह विधान के अनुच्छेद १९ के अनुसार अपनी राय का प्रकट करना है। हमने इस बात का प्रावधान करने की सावधानी की है कि मतदाताओं पर कोई किसी प्रकार से कोई अनुचित प्रभाव न डालने पावे। अब तो यह सब एक नाटक के समान हो जायगा यदि हम विधि बना कर निर्वाचन आयुक्त को वे कार्य करने से रोक दें जो विधान के अनुसार उनके लिये करना आवश्यक है। यह लोग अनर्हता भोगी हैं इसके लिये हम यह कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ किया गया है, वह यद्यपि वर्तमान विधि के अनुसार नहीं है पूर्ण रूप से वैध है इस लिये हम अब ऐसा ही करना चाहते हैं।

मैं तो सरकार को यह बताने का इच्छुक हूं कि उसने जो उपाय निकाला है वह तो बड़ा ही असाधारण उपाय है। केवल यह कह कर कि हम कुछ मृत व्यक्तियों को जीवन प्रदान करेंगे, यह उपाय केवल संविधान का ही मज़ाक नहीं उड़ाता अपितु नियम प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "निर्वाचन को विधान मण्डल के मत-निर्वाचन से स्थानापन्न किया जायेगा।" यह तो मतदाताओं का अधिकार है और इसमें हस्ताक्षेप नहीं किया जा सकता।

क्या भाग क और भाग ग के राज्यों के संबंध में लोक सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह यदि कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक कर दे? संविधान के अनुच्छेद १०२(क) में कहा गया है कि लोक सभा द्वारा घोषित उन कार्यालयों के अतिरिक्त जिनके अधिकारियों को अनर्हता भोगी नहीं माना जाता, अन्य कार्यालयों में काम करने वालों को अनर्हता भोगी माना जायेगा। मैं यहां "घोषित किये गये" शब्द पर ज़ोर दूंगा। यह शब्द 'घोषित' है 'घोषित होने वाला' नहीं। आरम्भ में यह सुविधा मन्त्रियों को दी गई थी परन्तु फिर औरों को भी दी गई। जो विधेयक हमारे

सम्मुख है वह केवल १२ व्यक्तियों पर लागू होता है जो सरकार के पिट्ठू हैं। यदि लोक सभा से संविधान के अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत नियम बनाने की प्रार्थना की जाती है तो यह सारे भारत के लिए लागू होना चाहिए। इस विधेयक में आपने कहा है कि "मेरे पास १२ बालक हैं। कृपया उन्हें अपने ही बालक समझिये।" मुझे तो यह ऐसा लगता है कि सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है कि देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा तो यह विचार है कि उन्होंने ऐसा करने में लापरवाही की है।

दूसरा उदाहरण यह है कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाने में कोई रोक नहीं है। अनर्हता है "अर्थ लाभ के पद पर नियुक्त है" न कि "लाभ उठाता है।" अतः यह मामला उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त का मत तो मत ही है। परन्तु कोई भी कानूनी न्यायालय म रुचि रखने वाला व्यक्ति इस पर प्रश्न कर सकता है। मैं मानता हूं कि निर्वाचन आयोग का मत ठीक है परन्तु उनकी अनुगणना में कुछ त्रुटि जान पड़ती है। यदि ऐसा नहीं है तो मामले पर उच्चतम न्यायालय में विरोध प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार के मामले के बारे में हम व्यापक नियम बनाना चाहिए।

जहां तक साफ़ नीयत का सम्बन्ध है, जब मैं उन पर्चों को पढ़ता हूं जो हमें महत्वपूर्ण पर्चों के रूप म दिये गये थे, तो उस विचार को बुरी तरह धक्का पहुंचता है। इस विषय पर वार्ता करने से केवल एक रात पूर्व हमें इसके पर्चे दिये गये। पढ़ने पर पता लगा कि विन्ध्य प्रदेश सरकार ने अर्थ लाभ के पदों पर काम न करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए अपने पहिले आदेशों को बदल कर यह मामला बनाने का कष्ट किया है।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि इस अनर्हता को हटाने के लिए यह तमाम परेशानी उठाना कि विधेयक रखा जाये आदि बेकार है। अन्त में, एक और निर्वाचन होने दीजिये। आप हम यह कहने का अवसर क्यों देते हैं कि आप को निर्वाचन म हार जाने का डर है क्योंकि मतदाताओं का आप पर विश्वास नहीं है।

सरकार संविधान के अनुसार अस्वीकृत प्रक्रिया तथा राष्ट्रपति द्वारा अन्तिम आदेश जारी करने पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। यह एक वह कार्य है जिस में सरकार को भाग नहीं लेना चाहिए। वे समझते है कि राष्ट्रपति ने अपना निर्णय दे दिया है और वह चाहता है यह अन्तिम हो। अन्यथा वे भाग ग राज्य के अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं जा सकते। यदि ऐसा ही कोई मामला किसी अन्य विधान मण्डल या संसद् सदस्य के बारे में हो जाये तो सरकार का यह कहना कितना बेहूदा होगा कि अर्थ-लाभ वाले पद को अर्थ-लाभ का पद नहीं माना जायेगा। विधान मण्डल ने एक अच्छा सिद्धान्त बनाने की सावधानी की कि किसी विधान मण्डल के निर्णय पर सरकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब आप यह चाहते हैं कि उन पदों को भी अर्थ-लाभ के पद न माना जाये जिन के लिए सरकारी कोष से धन व्यय होता है। यह अत्याधिक अनुचित है। भाग ग के राज्यों के सम्बन्ध म संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को समस्त अधिकार हैं कि वह जो उचित समझें करें। क्योंकि उन्होंने वह किया है जो तुम्हें स्वीकार नहीं है इसलिए तुम कहते हो कि वह अर्थ-लाभ का पद नहीं है। १२ व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करने में संसद् का समय कैसे लिया गया, यही नहीं अपितु इससे सारे देश की प्रक्रिया तथा नियम में गड़बड़ी सी फैल जायेगी

[श्री घवाचारी]

अ इस विषय का विरोध होना चाहिए और । विधेयक से सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह ज़ोर देने लायक मामला नहीं है। मैं तो केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार की अधिकता का उपयोग स्वीकृत सिद्धान्तों आदि के विरुद्ध ऐसे नियमों के थोपने में नहीं करना चाहिए। औचित्य के संबंध में तो लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि इस प्रकार के नियम को देश में ज़बरदस्ती लागू करना अत्याधिक अनुचित है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : जब गृह मन्त्री महोदय ने यह विधयक प्रस्तुत किया तब मेरा विचार यह था कि वह मामला नहीं बना सकेंगे। स्वभावतः, अब हमें यह देख कर कोई अचम्भा नहीं हुआ कि महान्यायवादी उनकी सहायता को आये हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि विधेयक की विशेषतायें क्या हैं ताकि तथ्य से न हट सकें। यह विधेयक विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के १२ सदस्यों की, जिनका विधान मण्डल में बैठना अवैध घोषित कर दिया गया है, अनर्हता को हटाना चाहता है। महान्यायवादी ने संकेत किया है कि लोक सभा किसी भी वैधानिक अनर्हता को दूर कर सकती है। मैं इस से सहमत हूं। परन्तु सदन के विभिन्न भागों की विभिन्न युक्तियों की दृष्टि से, हमें यह स्वीकार करने में कुछ भय है कि लोक सभा अपनी शक्ति का जी चाहे जब प्रयोग कर सकती है। अब प्रश्न यह है कि लोक सभा को वैधानिक अनर्हता निर्वाचन होने के पूर्व अथवा पश्चात् और विधान सभाओं के बनने के पश्चात् हटाना चाहिए ? यह एक मूल प्रश्न है और हमें इस पर गम्भीर विचार करना होगा। यद्यपि विधान सभाओं के बनने के पश्चात् अनर्हता को हटाने में लोक सभा साधारणतः न्याय पर है परन्तु इससे राजनैतिक भ्रष्टता का द्वार खुल जायगा।

महान्यायवादी ने कहा है कि संयुक्त साम्राज्य में वैधानिक अनर्हता को ठीक करने के अनेक उदाहरण हैं। वहां के बारे में मुझे भी कुछ ज्ञान है। वहां संसद् सदस्यों का अर्थ लाभ के पदों पर काम करने से पहिले, लोक सभा में वार्ता होती है, और अन्त में लोक सभा एकमत हो कर वैधानिक अनर्हता को हटाती है। लोक सभा सम्पूर्ण सत्ताधारी है परन्तु वह अपनी सत्ता का उपयोग अकलमन्दी से करती है। मुझे याद है कि युद्धकाल में वहां के प्रधान मन्त्री ने लोक सभा से प्रार्थना की थी कि वह मि० माल्कोम मेकडॉनाल्ड को लोक सभा का सदस्य भी रहने दे और कनाडा में उच्च आयुक्त के पद पर भी कार्य करने दे। यह एक प्रार्थना थी परन्तु लोक सभा ने वाद विवाद के पश्चात् तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से प्रधान मन्त्री की प्रार्थना के पक्ष में निश्चय किया।

एक और अन्य युक्ति यह है कि इस मामले में ब्रिटिश की प्रक्रियायें तथा प्रथायें अधिक सहायतापूर्ण नहीं हैं। वहां नियम बनाने वालों पर कोई सीमा नहीं है परन्तु हमारे संविधान में मूल अधिकारों के विषय में एक अध्याय है और प्रति पल उसका ध्यान रखना होता है। इस विधेयक का उद्देश्य १२ विशेष व्यक्तियों की अनर्हता को हटाना है परन्तु उच्चतम न्यायालय में विभिन्न वर्गों द्वारा जो प्रश्न पूछा जायगा वह यह है कि यह वैधानिक अधिनियम पास होना चाहिए, अनुच्छेद ८२ के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भेद भाव के क्षेत्र में नहीं आता। इस प्रकार क्या हम वह करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जिसके लिए संविधान मना करता है। क्या हम भारत के नागरिकों को समान वैधानिक सुरक्षा देने से

मुंह नहीं मोड़ रहे ? क्या हमें ऐसा अधिनियम पास करना है जिस पर उच्चतम न्यायालय में विरोध प्रकट होने और जिस पर और अधिक मतभेद आदि की सम्भावना है।

महान्यायवादी का कहना है कि लोक सभा राष्ट्रपति के निर्णय को ठुकराने तथा बदलने का वैधानिक अधिकार रखती है। क्या इसके लिये कोई प्रमाण है। अनुच्छेद १०३ को पढ़ने के पश्चात् मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि यदि राष्ट्रपति पग उठा लें तो अन्तिम कार्यवाही होगी और इसे बदलने का लोक सभा को अधिकार है, ऐसा वहां कोई प्रावधान नहीं है। भाग ग के राज्यों सम्बन्धी नियमों का बड़ा ही तमाशा बनाया गया था। लोक सभा द्वारा एक बार वि ध न म ड ल बनाने का अधिकार दिया गया है, और एक बार वह प्रयोग भी किया गया है, क्या इसका अनुच्छेद १०२ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। हम ने तुरन्त ही भाग ग के राज्य में एक विधान मण्डल बनाने और उसे संविधान के अन्तर्गत लाने का निश्चय किया। अब लोक सभा किस प्रकार ऐसे नियम स्वीकार कर सकती है जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हों ? इस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि यह विधेयक अवैध और संविधान के विरुद्ध है।

इस मामले में एक बात यह भी है कि इन १२ व्यक्तियों में से अधिकतर एक ही दल के सदस्य हैं। विन्ध्य प्रदेश में क्या हुआ यह है कि किसी सदस्य ने शिकायत की कि कुछ सदस्यों ने अर्थ लाभ के पद स्वीकार कर लिए हैं और इस प्रकार वे अनर्हत हो गये हैं। राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयुक्त से इसका निर्देश किया और उसने अपनी अन्तिम सिफ़ारिश राष्ट्रपति को दे दी जिसके पश्चात् उन्होंने एक आदेश निकाला। अब गृह मंत्री किस मुंह से कहते हैं कि हम अनर्हता को हटाने का नियम पास कर दें। यह एक मूल विषय है और हमें इस पर ठंडे दिमाग़ से विचार करना होगा। मैं इस सदन से निवेदन करता हूं कि वे यह समझ लें कि ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना केवल एक दल को ही प्रभावित नहीं करता अपितु सब दलों को प्रभावित करता है। हमारे देश में लोकतन्त्र के आरम्भ की स्थिति में, यह उचित नहीं है कि हम जनता के चरित्र की जड़ काट दें। मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर बुद्धिमानी से, गहरा और उचित विचार करें तथा इस उपाय को ठुकरा दें जो केवल संविधान के मूल अधिकारों का ही खण्डन नहीं करता अपितु संविधान और अपने मामलों को लोकतंत्रीय रूप देने के पूर्णतः विरुद्ध है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : उस दिन एक असाधारण चीज़ देखी गई कि महान्यायवादी को एक सरकारी कानून का समर्थन करने के लिए, संसद् में बुलाया गया। शायद यह दूसरा मौका है जबकि महान्यायवादी को एक ऐसे कानून का समर्थन करने के लिए सदन को सम्बोधित करने को बुलाया गया जिसे कि लोकतंत्री विचारक अवैध एवं अलोकतंत्रात्मक समझते हैं। हम जानते हैं कि महान्यायवादी ने निवारक निरोध अधिनियम को अपनी स्वीकृति दी और कहा कि यह पूरी तरह संवैधानिक तथा वैध है और हम यह भी जानते हैं कि उसके शीघ्र पश्चात् ही उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा १४ को अवैध घोषित कर दिया।

हमारे राष्ट्रपति ने जो आदेश पास किया वह उन्होंने संविधान की सीमाओं के अंतर्गत किया। उन्होंने निर्वाचन आयोग, जो एक स्वतन्त्र निकाय है, के परामर्श पर, विंध्य प्रदेश के विधान मण्डल के उन सदस्यों को सदस्यता से अनर्हत घोषित कर दिया। अब

[श्री के० के० बसु]

सरकार इस निर्णय को इस आधार पर निरसित करना चाहती है कि वह इसे बहुत छोटी सी बात समझती है।

महान्यायवादी ने जो कानूनी सलाह यहां दी थी यदि हम उसका विश्लेषण करें तो उनका आधार है संविधान का अनुच्छेद २४० जो कि भाग 'ग' के राज्यों के कार्य, उनके विधान-मण्डलों की क्रिया प्रणाली सदस्यों की अर्हताएं आदि निर्धारित करता है। इस सम्बन्ध में मैं अनुच्छेद २४० का क्षेत्र बतलाना चाहूंगा। इसके अनुसार संसद, विधान बना कर भाग ग के किसी राज्य के लिए किसी निकाय का सृजन कर सकती अथवा उसे जारी रख सकती है जो नाम निर्देशित हों, निर्वाचित हो अथवा आंशिक रूप से नामनिर्देशित हों और आंशिक रूप से निर्वाचित हो। तो संसद् के अधिकार इस अनुच्छद द्वारा केवल एक विधान-मण्डलीय निकाय के सृजन करने तक सीमित हैं। इन विधान मण्डलों का सृजन करने में वह प्रत्येक के अधिकार निर्धारित कर सकती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि संसद् की शक्ति केवल विधान-मण्डल के सृजन करने तक ही सीमित है। इस बात पर मैं ज़ोर देना चाहता हूं।

हम जानते हैं कि तीन सूचियां हैं, एक अनन्य रूप से संघीय सूची है, एक अन्यान्य रूप से राजकीय सूची है और एक समवर्ती सूची है। इसलिए मेरा निवेदन है कि संसद् अनुसूची की सूची १ के अन्तर्गत, अधिकारों को किसी भाग ग के राज्य को सौंपने की हक-दार नहीं है, वह उन्हें केवल व्यवहृत कर सकती है। संसद्, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, वही अधिकार दे सकती है जो कि राज्य सूची म हैं और सम्भवतः कुछ समवर्ती सूची वाले भी। अनुच्छेद २४० म यही उपबन्धित है और इसके अन्तर्गत दिए गए अधिकारों को हम संसद् का सर्वप्रभुत्व अधिकार नहीं बना सकते।

इस सम्बन्ध में सरकार महान्यायवादी के परामर्श पर कहती है कि राष्ट्रपति ने भाग ग राज्यों के अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत कार्यवाही की। आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद १०२, के अन्तर्गत एक सूची है जो कि संसद् सदस्य के लिए अनर्हता समझी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद २४० के अंतर्गत संसद् को यह कहने का अधिकार नहीं है कि जहां तक भाग ग के राज्यों का सम्बन्ध है, अनुच्छेद १०२ में उपबन्धित अनर्हता लागू नहीं होती। एक बार यदि किसी पद को लाभ का पद समझ लिया गया तो संसद् अथवा राज्य विधान मण्डल दोनों की ही सदस्यता के लिए यह अनर्हतकर्ता है। इसलिए मैं महान्यायवादी द्वारा दिए गए इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि अनुच्छेद २४० व्यापक अधिकार प्रदान करता है। यह बहुत ही सीमित अधिकार देता है——विधान मण्डल का सृजन।

फिर, इस विधेयक के प्रणेताओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने भाग ग राज्यों के अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत कार्यवाही की है। एक कल्पनात्मक अवस्था लीजिए। मान लीजिए कि अनुबन्ध ४३ न होता तब भी राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद १०३ के अन्तर्गत अनर्हता के मामले पर निर्णय देने का अधिकार है। मेरा फिर निवेदन है कि भाग ग राज्यों का अधि-नियम कोई ऐसा उपबन्ध नहीं बना सकता जो कि संसद् की शक्ति को कम करता हो।

जहां तक निर्वाचन का सम्बन्ध है, यह उपबन्धित है कि एक बार संसद् के किसी कानून द्वारा यह निर्णीत हो जाने पर कि निर्वाचन होना चाहिए, निर्वाचन के संचालन

की विधि निर्वाचन आयोग पर छोड़ देनी चाहिए। संसद् यह नहीं कह सकती कि भाग ग के राज्यों के विधान मण्डलों का निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा न किया जाए। वह यह अवश्य कह सकती है कि नामनिर्देशन हो। अनच्छेद २४० के अन्तर्गत उसे यह अधिकार है। किन्तु बिना संविधान को संशोधित किए, भाग ग के राज्यों के सम्बन्ध में, निर्वाचन के सम्बन्ध में वह निर्वाचन आयोग के अधिकारों को निराकृत नहीं कर सकती। इसलिए यदि आप यह स्थिति स्वीकार कर लेते ह कि निर्वाचन होने चाहिएं तो निर्वाचन आयोग स्वभावतः ही आ जाता है।

हमारे संविधान के अन्तर्गत दो प्रकार से स्थान रिक्त हो सकता है। एक तो यदि कोई सदस्य लगातार ६० दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। किन्तु इस दशा में, यदि विधान मण्डल चाहे तो इस अनुपस्थिति के लिए माफी दे सकता है और तब वह स्थान रिक्त नहीं रहता। किन्तु जब कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर अनर्हता घोषित कर दी जाती है तब कोई चारा नहीं है वह स्थान तत्काल ही रिक्त हो जाता है और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए यह विभिन्नता इस मामले में याद रखनी चाहिए। हमारे संविधान ने जानबूझ कर ही हमारे निर्वाचन संचालन के लिए एक ऐसी संस्था का सृजन किया है जो कि कार्यकारिणी के और विधान मण्डल तक के प्रभाव से मुक्त हो। इस मामले में अनर्हता घोषित होने पर स्थान तत्काल ही रिक्त हो जाता है।

[श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महान्यायवादी ने इस विधेयक का समर्थन किया। मैं चाहता हूं कि उनसे इस पर उनका स्वतन्त्र कानूनी राय मांगी गई होती। अब तो वह केवल सत्तारूढ़ दल का समर्थन भर कर रहे हैं।

विधेयक के प्रस्तावक डा० काटजू का कहना है कि जिन सदस्यों को अनर्हत कर दिया गया और जो विंध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं रहे, वे निर्व्याज थे। यह भी कहा गया है कि जो राशि उन्हें मिलती थी वह इतनी कम थी कि उसे लाभ का पद नहीं कहा जा सकता। जहां तक उनके निर्व्याज होने का प्रश्न है, हमें कितने ही ऐसे उदाहरण विदित हैं जहां कि महज़ टैकनीकल आधार पर फिर से निर्वाचन की आज्ञा दी गई। इसी दृष्टांत को लेते हुए, यह मानते हुए भी कि जिन सदस्यों को अनर्हत कर दिया गया और जो विधान सभा के सदस्य नहीं रहे, वे निर्व्याज थे, हमारे पास मतदाताओं के पास जाने के सिवा अन्य विकल्प नहीं है। और यदि आप पुनः निर्वाचन कर मतदाताओं की राय जान लेंगे तो उसमें हानि भी क्या होगी? इसलिए मैं समझता हूं कि प्रस्तावक का यह तर्क निराधार है।

जहां तक राशि के अत्यन्त न्यून होने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि हमने एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की है जो कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त है और जिसका सभापतित्व वृहत् अनुभव तथा मान के व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी स्थिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समस्तर पर है। उसनें स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हुए यह निर्णय दिया है कि ये सदस्य अनर्हत हो गए हैं। यह एक सिद्धान्त की बात है। निर्वाचन आयोग का निर्णय स्पष्ट है और हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

पुनः, अनर्हता हटाने के लिए हम से इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देने को कहा जाता है। मैं इस प्रस्ताव को भूतलक्षी प्रभाव देने की बात समझ सकता हूं कि जिससे सामाजिक न्याय अथवा जन-साधारण का कोई लाभ होता हो। इस मामले में सरकार

[श्री के० के० बसु]

शायद यह समझती है कि पुनःनिर्वाचन में कुछ हज़ार रुपए खर्च होंगे। इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि आप बहुसंख्या में हैं। और जिस प्रकार चाहें कार्य कर सकते हैं, जैसे चाहें सरकार चला सकते हैं। यदि कोई असाधारण स्थिति होती तो मैं इस विधेयक को स्वीकार कर लेता। किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। गत निर्वाचनों के पश्चात् कितने ही उम्मेदवारों का निर्वाचन मामूली टैकनीकल आधारों पर अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि संसद् उन्हें वैध करने के लिए कोई क़ानून बनाए? यह तो सिद्धान्त की बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि संसद् को संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अन्यथा, जब हमारा संवैधानिक इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसी बातें हमारे ऊपर एक धब्बा होगा। इसलिए आगे यह नहीं कहा जाना चाहिए कि भारत की प्रथम निर्वाचित संसद् ने उस आधार का अतिक्रमण किया जो हमारे संविधान तिर्माताओं ने निश्चित रूप से रक्खा था। इस निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा पूर्व) : सभापति महोदय, जिस समय मैंने यह निश्चय किया कि मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में इस भवन के सम्मुख अपनी कुछ बातें रखनी हैं उस समय मेरे मन में नाना प्रकार की शंकायें उठीं। मैं यह जानता हूं कि मैं जिस दल में अपने आप को पाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं.....

बाबू रामनारायण सिंह : दुर्भाग्य।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : उस दल के कदाचित बहुत से सदस्य इस विधेयक के पक्ष में हैं और मैं यह भी जानता हूं कि यदि यहां मेरे मुख से कोई एसी बात निकल जाय जो कि मेरे दल को रुचि कर न हो तो कदाचित् उस के लिये मुझे कुछ परिणाम भी भुगतना पड़ेगा।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : सच बात कहियेगा।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : मैं अपनी भाभी सुचेता से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी प्रलोभन के कारण.....

श्री नम्बियार : अंगरेज़ी में बोलें।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : मेरा अनुमान है इतना तो आप समझ ही लेंगे। मैंने किसी प्रलोभन के कारण अपने विचारों को दबाने में विश्वास नहीं किया है और इस कारण से उन को इस बात से आश्वस्त रहना चाहिये कि जो कुछ मेरी बुद्धि के अनुसार मुझ को दिखाई देगा उसी को मैं इस भवन के सामने रखने का प्रयत्न करूंगा।

डा० काटजू ने कल मुझ से यों ही उपहास में पूछा कि भाई, ऐटारनी जनरल के भाषण का तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा? मैं ने उन से कहा कि महानुभाव, यह मेरा दुर्भाग्य रहा है कि आप के ऐसे सन्तों का समागम मेरे जीवन में कम हुआ है। विद्वज्जनों के चरणों में बैठने का और विशेषकर विधान के विद्वज्जनों के चरणों में बैठने का अवसर मेरे जीवन में कम आया है और इस कारण से जो बहुत सी उलझी हुई बातें सुझाव के रूप में आप मेरे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, कदाचित् उसको ग्रहण करने का अधिकारी मैं नहीं हूं। मैंने समझने का प्रयत्न किया और समझने के उपरान्त इतना भी मैं समझा, ऐटारनी जनरल के भाषण के सम्बन्ध में, कि जिस विधेयक को आज हम अपने बीच में पा रहे हैं, जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह केवल मात्र एक इस भवन के द्वारा पास किये गये दूसरे विधान का संशोधन मात्र है, इसका

हमारे राष्ट्रीय शासन विधान से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस कारण से हम इस पर विचार कर सकते हैं और इसका भविष्य और भूत सब प्रकार का रूप हम यहां पर बना सकते हैं। ऐसा रूप जो भविष्य के लिये भी और भूत काल के लिये भी स्थायी हो और प्रभावोत्पादक हो। प्रास्पेक्टिव और रिस्ट्रास्पेक्टिव सब प्रकार की वस्तुयें हम इस में कर सकते हैं। इतना तो मैं समझा। परन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं इस प्रश्न पर किंचित विधान के परे की दृष्टि से विचार करना चाहता हूं, इस भवन के सम्मुख मैं केवल थोड़े से शब्दों में यह विवरण रख देना चाहता हूं कि कब तो यह वस्तु राष्ट्रपति के सम्मुख आई और कितने दिन उन को इस निर्णय में लग गये। इस के पीछे क्या बात थी ? यह मैं जानना चाहता हूं। २६ अप्रैल, १९५२ को यह डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटीज या ज़िला परामर्शदात्री समितियां बनीं और मेरे मित्र सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह ने ३० अक्तूबर, १९५२ को राष्ट्रपति के सम्मुख यह बात रक्खी कि इस प्रकार से विन्ध्य प्रदेश में जो जिला परामर्शदात्री समितियां बनाई गई हैं उन के सदस्यों ने जो कि असेम्बली के सदस्य हैं एक आफिस आफ प्राफिट, जो कि गवर्नमेंट की गिफ्ट में है, वह स्वीकार कर लिया है। और इस कारण से वह विंध्य प्रदेश की एसेम्बली के सदस्य होने के उपयुक्त नहीं रहे। मुझे यह जान कर के आश्चर्य हुआ कि ३० अक्तूबर से लगा कर के जब तक राष्ट्रपति ने इस बात की आज्ञा नहीं दे दी कि यह वस्तु-विषय एलेक्शन कमीशन के पास भजा जाय, उस में तीन चार, पांच महीने का गड़बड़ झाला रहता है। इतना समय कहां चला गया ? यह मेरे मित्र का कहना है, मैं इस कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकता, किन्तु सरदार नर्मदा प्रसाद का यह कथन है कि पहले पहले ला मिनिस्ट्री और स्टट्स मिनिस्ट्री दोनों इस बात की कोशिश करती रहीं कि वे यह प्रमाणित कर दें कि यह जो पद है वह आफिस ऑफ प्राफिट है ही नहीं।

पहले तो इस बात का प्रयत्न चला और जब कदाचित् इस बात के प्रयत्न में उनको विशेष सफलता प्राप्त होती न दिखायी दी तब यह बात कही गयी कि विधान की जिस धारा के अनुसार राष्ट्रपति को इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है विधान की उस धारा के अनुसार भी राष्ट्रपति महोदय एक कांस्टीट्यूशनल हैड हैं, एक वैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इस कारण से जो कुछ भी सरकार की ओर से, शासन की ओर से उनके पास परामर्श जाये उसी परामर्श के अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस प्रकार की बात हुई। और यदि ऐसी बात हुई तो यह एक चिन्तनीय बात है क्योंकि हमने अपने विधान की धारा में इस प्रकार के विषयों में जो हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने राष्ट्रपति को दे रखा है वह उनके वैयक्तिक रूप में हमने उन्हें दे रखा है। उनके कांस्टीट्युशनल हैड या वैधानिक प्रमुख होने के नाते हमने उनको वह अधिकार नहीं दिया है। और इस कारण से यदि प्रारम्भ से ही इस प्रकार के विषयों में हमारे शासन का ऐसा मनोभाव रहा है तो मेरे मन में यह सन्देह अवश्य उत्पन्न होता है कि हमने इस प्रश्न के ऊपर मुक्त हृदय से, मुक्त दृष्टि से और तमाम झंझटों से मुक्त हो कर के विचार करने का प्रयास नहीं किया। हम ने इसमें गड़बड़ शुरू की और अब जब कि राष्ट्रपति ने हम को इस बात की आज्ञा दे दी है कि ये जो १२ आदमी थे वे सदस्य नहीं रहे और जब स्वयं वहां के अध्यक्ष ने, अर्थात् विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष ने यह कह दिया कि आप अब सदस्य नहीं रहे और जब वह १२ आदमी स्थान छोड़ कर चले आय, तब अब यह

[पंडित बालकृष्ण शर्मा]

कहना कि वह १२ आदमी जिनका स्थान रिक्त हो गया है फिर से सदस्य हो सकते हैं यह वितण्डावाद है जो बुद्धि के परे है, फिर चाहे कितना ही प्रयास मुझे क़ानूनी दृष्टि से यह समझाने का किया जाय कि यह बात ठीक है। वैधानिक दृष्टि से आप यह कर सकते हैं। जो कुछ हमारे और कानून बने हुए हैं उनके अनुसार भी हम यह कर सकते हैं किन्तु यह बात वास्तव में समझ में नहीं आती। एक साधारण बुद्धि की बात है। विशेष बुद्धि जो कि कानून की बुद्धि है और जो बुद्धि मेरे मित्र डाक्टर काटजू के पास है वह मेरे पास नहीं है। वह तो दूसरी बात है। किन्तु साधारण बुद्धि का थोडा बहुत अधिकारी मैं भी हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि जब एक आदमी जो अपने स्थान को रिक्त कर चुका है और उस रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए उसी विन्ध्य प्रदेश के विधान में एक धारा विद्यमान है और यह उसके कांस्टीट्यूशन में है कि इलेक्शन कमिश्नर उसको भरने का प्रयास करेगा, फिर हम पार्लियामेंट में बैठ कर के उन जनों को फिर से उसी आसन पर आसीन कर दें, यह मेरी समझ में नहीं आता। वैधानिक दृष्टि से सम्भव है ऐसा उचित हो किन्तु मैं समझता हूं कि साधारण बुद्धि की दृष्टि से यह अनुचित बात है।

बाबू रामनारायण सिंह : हियर हियर।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : उसको कहते हैं त्रिशंकु का स्वर्ग।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : प्रश्न यह है कि ऐसे विषयों पर विचार करते समय हम इस भवन के सदस्यों को अपना निर्णय केवल विधान या कानूनों पर आधारित करना उचित है या इसके अतिरिक्त जो इस विधान से परे वास्तविकता है उसकी ओर भी हम देखें। यदि आप देश की जनता के सामने यह प्रश्न लेकर जायं कि भाई यह १२ आदमी मर तो चुके थे और उन को जिलाने का एकमात्र मंत्र शुक्राचार्य के पास था, इस समय शुक्राचार्य हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, वह डिकलेअर कर देते, वह चुनाव कराते, वह आदमी फिर खड़े होते और फिर आ जाते। उनको जीवित करने की संजीवनी बूटी केवल उनके पास थी। किन्तु स्वयं भारतीय संसद् ने अपने आपको उसका अधिकारी मान लिया और उसने उनको पुनः जीवित कर दिया तो मैं कहूंगा कि जनता को यह बात समझ में नहीं आयेगी और मैं यही समझता हूं कि हमने यह अनुचित बात की है और हम को ऐसा नहीं करना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त भी आप देखिये। इस प्रश्न पर विचार करते समय हमको किंचित अपनी दृष्टि को विशद करना होगा। हमें यह देखना है कि सार्वजनिक रूप में जनता के मनोभाव की क्या प्रतिक्रिया होती है, पब्लिक माइंड का साइकालाजीकल रिऐक्शन क्या होता है। यह हम को देखना होगा। यदि हमने और आपने ईमानदारी से, सदाशयतापूर्वक यह प्रण किया है कि इस देश में हम जनतन्त्रात्मक शासन की स्थापना करेंगे और जनतन्त्र के सिद्धान्तों को चलाते रहेंगे, यदि हम और आप अपने भीतर यह उद्वेलन अनुभव कर रहे हैं कि कदाचित् समूचे एशिया भर में हमारा ही देश ऐसा है जो जनतन्त्र के इस महान् प्रयोग को इस भूमि में, कर रहा है तब हम को अपने व्यवहारों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बहुमत के द्वारा कोई भी काम कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका प्रभाव इस देश में और एशिया पर ऐसा पड़े कि बहुमत एक बार जनतन्त्र के सिद्धान्त को भी पलट सकता है।

एक माननीय सदस्य : जनतन्त्र है कहां।

पंडित बालकृष्ण शर्मा: मेरे मित्र यह बात नहीं मानते कि यहां जनतन्त्र है। यह अलग बात है कि वह अल्पमत में हैं लेकिन उनका अल्पमत में यहां होना ही इस बात का प्रमाण है कि इस देश में जनतन्त्र है। तो उस जनतंत्र को चलाने के लिए मेरा यह निवेदन है कि हमको कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे जनता में यह बात आ जाय कि जो उसका अन्तर्हित अधिकार है जो उसका मूल अधिकार है उस पर किसी प्रकार का आघात हो रहा है। यहां पर प्रत्येक जनतन्त्र के शासन का शास्त्री इस बात को मानता है कि जिस समय भी कोई स्थान कहीं भी किसी भी रूप में रिक्त हो जायगा उस स्थान का भरना एक विशेष प्रकार से होगा जिसमें कि स्थानीय जनता को भी अपनी सम्मति प्रकट करने का अवसर दिया जायगा। यहां पर आप उस प्रथा को छीन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं निवेदन करूं कि यह एक बड़ी भयास्पद और शंकास्पद स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जिस समय भी देश की जनता को यह विश्वास हो जायगा कि हमारा बहुमत रहते हुए भी हम शक्ति में नहीं आ सकते, क्योंकि जो शक्ति में पहले से हैं वे कोई न कोई चाल ऐसी अवश्य कर लेंगे कि हमारी बात का कोई मूल्य नहीं रहेगा। आज देश में यह विश्वास नहीं है, लेकिन जिस दिन यह विश्वास जनता को हो जायगा तब तुरन्त गोलियां चलने लगेंगी।

यह मैं भय खाता हूं। जिस समय मतदान पत्रकों का मूल्य कम हो जायगा उस दिन उस समय उसके स्थान में शतघनी का रव गूंज उठेगा। इस कारण मेरा आप से यह निवेदन है कि आप शासन से कहिये कि इस दिन को वह हमारे सामने न आने दे। मैं इस बिल को बहुत स्पष्टतापूर्वक आप से निवेदन करना चाहता हूं, एक निर्लज्ज विधेयक समझता हूं। यह हमारे उपयुक्त नहीं है। हमारे बहुमत के उपयुक्त नहीं है। मेरे मित्र कदाचित् मेरी बात को नहीं मानेंगे किन्तु यदि मेरे शब्दों में बल होता तो मैं सब से प्रार्थना करता कि इसके विरुद्ध अपना मत देकर इसको यहां समाप्त कर दें अथवा और शासन को विवश कर दें कि वह इस बिल को उठा ले। मैं कानून का पंडित नहीं हूं इस कारण किसी प्रकार के कानूनी दाव पेच में पड़ना मैं अपने अधिकार के बाहर मानता हूं। किन्तु मैं केवलमात्र एक सार्वजनिक सेवक होने के नाते जिसने अपने जीवन के ३२ वर्ष इस प्रकार के कार्यों में लगा दिये हैं आप से निवेदन करता हूं और इस भवन से निवेदन करता हूं कि इस भयानक विधेयक को पास करने के पहले दस बार वह सोचें क्योंकि मेरी समझ में यह विधेयक एक प्रकार से इस देश में जनसत्तात्मक प्रणाली के दफनाने का प्रथम चरण है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : बिल्कुल।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड-सोरठ) : हम जिस विधेयक पर विचार कर रहे हैं यह इस प्रकार का पहला विधेयक है, इसलिये यह आवश्यक है कि हम इस के सिद्धान्तों को भली प्रकार समझें और अपने दलों के हितों से ऊपर उठ कर इस पर विचार करें। मैं सदन को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करूंगा कि यह विधेयक न तो संविधान के विरुद्ध है और न ही उस के दृष्टिकोण से अनुचित है।

महान्यायवादी महोदय ने हमारे सामने भाषण दिया है। इस विधेयक से तीन प्रश्न उत्पन्न होते हैं : (१) क्या संविधान के अनुसार संसद को यह विधेयक पास करने का अधिकार है? (२) यदि उसे यह अधिकार है तो क्या उस के लिये इस अधिकार का प्रयोग करना ठीक है? और (३) यदि इस अधिकार का प्रयोग उचित है तो क्या वस्तु

[श्री सी० सी० शाह]

स्थिति को देखते हुए हमें इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए ? महान्यायवादी महोदय का कहना है कि हमें संविधान के अधीन यह अधिकार है और इस का प्रयोग उचित है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की है कि महान्यायवादी महोदय ने इस विधेयक के संवैधानिक औचित्य के सम्बन्ध में भाषण क्यों दिया । मेरे विचार में इस विधेयक के संवैधानिक औचित्य का महत्व और सब बातों से अधिक है । विरोधी दल के सदस्यों ने जो भी कहा हो, मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा कानून पास करने का अधिकार संसद को है । संविधान के अनुच्छेद १०२ में यह अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है । मैं इस बात पर अधिक ज़ोर नहीं देना चाहता कि यह विधेयक एक भाग ग राज्य से सम्बन्ध रखता है । अनुच्छेद १०२ में सदस्यों की अनहर्ताएं दी हुई हैं । अनच्छेद १०२ की धारा (३) में कहा गया है कि अनर्हता के होते ही सदस्य का स्थान खाली हो जायगा । और अनच्छेद १०२(१) (क) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ पदों के, लाभ-पद होते हुए भी, वह यह घोषणा कर सकती है कि वे लाभ-पद नहीं हैं ।

अनुच्छेद १९१ तथा १९२ में भाग क तथा भाग ख के विधानमण्डलों को भी ऐसे ही अधिकार दिए गए हैं । भाग ग के विधानमण्डलों को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया । अनुच्छेद २४० में संसद को भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और उस के खण्ड (२) में यह स्पष्ट उपबन्ध किया गया है कि खण्ड (१) के अधीन बनाये गए किसी कानून को संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा । भाग ग राज्यों के विधानमण्डल अनहर्ताओं का निवारण नहीं कर सकते, केवल संसद ही ऐसा कर सकती है । इस में भी कोई सन्देह नहीं कि संसद आगे के लिए कानून बना सकती है तो बीते हुए समय के लिए भी उसे कानून बनाने का अधिकार है ।

दलील तो केवल यही दी गई है कि अनुच्छेद १०३ में कहा गया है कि राष्ट्रपति का आदेश अन्तिम होगा और हम जो कुछ कर रहे हैं उस से राष्ट्रपति पर धब्बा लगेगा और राष्ट्रपति के आदेश से हमारे किए पर पानी फिर जायगा । मेरा सविनय निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम हो रहा है । संविधान में,--अनर्हता हुई है या नहीं--इस का निर्णय करने की व्यवस्था यह की गई है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर यह निर्णय करेगा । यह भी उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होगा "निर्णय अन्तिम होगा"--इस का तात्पर्य यह नहीं कि संसद इस के बारे में कानून नहीं बना सकती । इस का मतलब तो यह है कि किसी अदालत में इस के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती । केवल यही इस का मतलब है । जहां तक संसद के प्राधिकार का सम्बन्ध है, वह सर्वोपरि है ।

इस सम्बन्ध में कुछ और भी भ्रम है । वास्तव में यह तो राष्ट्रपति का आदेश नहीं है । अनुच्छेद १०३ में कहा गया है कि राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की राय के अनुसार निर्णय करना होगा । राष्ट्रपति को इस मामले में अपने स्वविवेक से काम लेने का तो अधिकार ही नहीं है । महान्यायवादी महोदय ने कहा था कि राष्ट्रपति तो केवल मुहर लगाने वाले प्राधिकारी हैं । उन का आशय राष्ट्रपति का अपमान करने का नहीं था । उन का तात्पर्य तो केवल यह था कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर यह आभार आता है कि वे चुनाव आयोग के

निर्णय को स्वीकार करें । प्रत्येक आदेश, प्रत्येक अदालती डिग्री तथा प्रत्येक लेख राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाता है । इस का मतलब यह नहीं है कि हम उस आदेश को बदल नहीं सकते ।

मान लीजिये कि उच्चतम न्यायालय कोई आदेश देता है । उस का निर्णय अन्तिम है परन्तु संसद को यह अधिकार है कि वह उस निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक कानून पास कर दे । इस का यह मतलब नहीं कि ऐसा कानून पास करने से उच्चतम न्यायालय का अपमान हो जायगा । और फिर चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय से तो ऊंचा नहीं है । तो यदि हम आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश को बदल दें तो इस में राष्ट्रपति के अपमान की क्या बात है ।

अब मैं संवैधानिक औचित्य की ओर आता हूं । जब भी कोई स्थान खाली होता है तो सामान्य प्रक्रिया तो यह है कि उस स्थान के लिए चुनाव कराया जाय । यदि हम यह कानून पास करते हैं कि चुनाव नहीं किया जायगा बल्कि यही मान लिया जायगा कि सदस्यों की अनर्हता हुई ही नहीं, सो यह असाधारण सी बात है । तो फिर संवैधानिक औचित्य का सिद्धान्त क्या है । मे की पार्लिमेंट्री प्रेक्टिस में जो मामले दिए हैं, मैं ने उन्हें पढ़ा है । यह सिद्धान्त इस प्रकार रखा जा सकता है : जब अनर्हता प्रावैधिक हो, अनजाने में हो गई हो, कोई लाभ उठाने की मंशा न हो, तो यह उचित है कि उस अनर्हता का निवारण किया जाय ।

ऐसी बात नहीं कि संसद ने पहले कभी ऐसा कानून ही पास नहीं किया । १९५१ के अधिनियम ६८ द्वारा यह घोषणा की गई थी कि कुछ लाभ-पद लाभ-पद नहीं हैं । यह ३१ अक्तूबर १९५१ को पास किया गया । इस के खण्ड १ के उपखण्ड (२) में कहा गया है कि यह समझा जायगा कि यह अधिनियम २६ जनवरी, १९५० से लागू हुआ है । उस समय तत्कालीन संसद के कुछ सदस्यों की अनर्हता हो गई थी, इस लिए यह अधिनियम पास करना पड़ा ।

रहा प्रश्न स्थान के खाली होने का । वह तो अनर्हता के होते ही खाली हो जाता है । और स्थान उसी दिन से रिक्त हो जाता है जिस दिन कि अनर्हता हुई हो ।

अब प्रश्न यह है कि क्या वस्तुस्थिति ऐसी है कि हम यह कानन पास करें ? मैं मानता हूं कि इस प्रकार का कानून कभी कभार ही पास किया जाना चाहिए । कुछ सदस्यों ने कहा है कि इन १२ सदस्यों के लिए ही यह कानून क्यों पास किया जा रहा है, सब के लिए क्यों नहीं ? जब चनाव आयोग, चुनाव के बाद किसी पद के लाभ-पद होने का निर्णय कर दे तभी तो ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ती है । यह कानून कुछ व्यक्तियों के लिए ही बनाया जा सकता है, सब के लिए नहीं ।

वस्तुस्थिति यह थी कि विंध्य प्रदेश सरकार ने ज़िला परामर्शदातृ परिषदें बनाईं और यह व्यवस्था की कि विंध्य प्रदेश धारा-सभा के सभी सदस्य, परिषद् के पदेन सदस्य होंगे । विंध्य प्रदेश सरकार ने कानूनी परामर्श ले लिया था । वह यह नहीं चाहती थी कि सभी सदस्य अनर्ह हो जायें । इसलिए यह बताए जाने पर कि यह पद लाभ-पद नहीं है, उस ने विंध्य प्रदेश धारासभा के सभी सदस्यों को ज़िला परामर्शदातृ परिषदों के पदेन सदस्य बना दिया । एक सदस्य ने समझा कि यह लाभ-पद है और उस ने राष्ट्र-पति से अभ्यावेदन किया । राष्ट्रपति ने यह मामला चुनाव आयोग को सौंप दिया और आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति

[श्री सी० सी० शाह]

का यह आदेश देना पड़ा कि अनर्हता हो गई है। आयोग को, न चाहते हुए भी ऐसा निर्णय करना पड़ा। यदि आयोग कुछ और निर्णय कर सकता तो उस का निर्णय यही होता कि यह पद लाभ-पद नहीं है।

मान लीजिये कि हम इन १२ व्यक्तियों के अतिरिक्त एक सामान्य कानून पास करते हैं और उस में एक यह खण्ड जोड़ देते हैं कि ज़िला परामर्शदातृ परिषदों की सदस्यता लाभ-पद नहीं तो क्या इस सदन का कोई सदस्य इस पर आपत्ति करता ? यह खेद की बात है कि १९५१ के अधिनियम ६८ में हम ने यह बात शामिल नहीं की।

मैं ने जो कुछ कहा है उस से स्पष्ट है कि किसी सदस्य को मालूम नहीं था कि यह लाभ-पद है। न ही सरकार को यह मालूम था; उस ने तो साफ़ नियत से यह काम किया और सदस्यों की अनर्हता हो गई। विंध्य प्रदेश सरकार ने एक कार्यवाही की जिस से यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो क्या आप इस का दण्ड सदस्यों को देंगे जिन का कोई दोष नहीं है ? मैं तो कहता हूं कि इस स्थिति में यह कानून पास करना हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्रवाद के सम्बन्ध में कुछ भी कहा जाय, लोकतंत्रवाद के सिद्धांतों की रक्षा तो इसी बात में है कि इन सदस्यों को, जिन्हें जनता ने चुना है, सदस्य बना रहने दें। और संसद उन की अनर्हता का निवारण कर के उचित कार्यवाही करेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : चेयर मैन साहब, इस बिल के बारे में जो तकरीरें मेरे अपोज़ीशन के दोस्तों ने की हैं उन को सुन कर मैं बहुत ऐम्यूज़ हुआ हूं। मैं चाहता था कि वह कोई ऐसी तजवीज़ तो पेश करते, कोई ऐसी दलील तो देते कि जिस के ऊपर किसी जवाब देने की ज़रूरत होती। मुझ को वह सिर्फ प्लैटीट्यूड्स ही कहनी पड़ेंगी क्योंकि इस वक्त तक एक भी दलील ऐसी नहीं दी गई है जिस का जवाब देने की ज़रूरत होती। इस में शक नहीं है कि बड़े बड़े माकूल अल्फ़ाज़ इस्तैमाल किए गये हैं और कुछ नामाकूल अल्फ़ाज़ भी इस्तैमाल किये गये हैं और मुझे अफसोस है कि इस हाउस में देवता और दैत्य और इस तरह की बातें कही गईं। मैं चाहता था कि इस मामले को हर एक आदमी बिल्कुल डिसपैशनेट तरीके से देखे। मैं ने जो अपने दोस्त बालकृष्ण शर्मा की तकरीर सुनी मुझे उस से बड़ा इत्मीनान हुआ। मैं चाहता हूं कि हर एक मेम्बर ख्वाह वह अपोजीशन का हो या कांग्रेस पार्टी का हो इस नुक्ते से इस सवाल को देखे कि जिस में पैशन बिल्कुल न हो।

बाबू रामनारायण सिंह : हियर हियर।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं साथ ही यह चाहता हूं कि जो लोग हियर हियर कहते हैं और जो ठेकेदार बने हुए हैं इस सारे कांस्टीट्यूशन के और इस बात के ठेकेदार बने हुए हैं कि सचाई उन्हीं के साथ है, उन को खुद अपने गरेबां में मुंह डाल कर देखना चाहिए और वह सुनें इत्मीनान के साथ कि वह क्या कहना चाहते हैं। वह यह समझते हैं कि उन के पास कानसेंश मौजूद है और हम सब ने कांग्रेस में शामिल होकर अपना कानसेंश बेच दिया है। मुझे याद है कि पहले एक मौके पर हमारे ऐटारनी जनरल तशरीफ लाये थे।

हम ने इस हाउस में ऐटारनी जनरल साहब के मुंह पर उन की राय को नहीं माना। हम ने जिस इस हाउस में उन के

बरखिलाफ मुबाहिसा किया । मैं डाक्टर काटजू साहब की बहुत इज्जत करता हूं और दूसरे मिनिस्टर साहिबान की भी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जब मौका पड़ा हम ने उन को रोज़ क्रिटिसाइज़ किया और उन की राय को नहीं माना और हम अपने ईमान और धर्म के मुताबिक हर काम करते हैं । जहां कहीं भी देश के हित का सवाल होता है और जहां भी कानमेंग का सवाल होता है हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं । हम ने जो यहां कसम खाई थी वह कांस्टीट्यूशन की तरफ कसम खाई थी । तो अगर यह चीज़ कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है तो मैं पहला आदमी हूंगा जो इस बिल के खिलाफ अपनी राय दूंगा । लेकिन आप यह कहते हैं कि आप ने ही ठीक कहा है और आप समझते हैं कि आप ठेकेदार हैं सारी लियाकत के और सारे कानून के और जो आदमी इसके बखिलाफ राय देता है वह ईमानदार नहीं है । मेरी नाकिस राय में यह बिल बिल्कुल कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है और कांस्टीट्यूशन की पूरी इज्जत करता है । इतना ही नहीं यह हमारे प्रेसीडेंट साहब को और हमारे इलेक्शन कमिश्नर को जो अख्तियारात हैं उन की इज्जत करता है और सब से बढ़ कर जो इस कांस्टीट्यूशन के अन्दर आखिरी चीज़ है जो इस के प्रिफेस में लिखी है कि हम चाहते हैं कि इस देश में जस्टिस हो उसकी इज्जत करता है ।

जनाब वाला, कहा गया है कि यह कांस्टीट्यूशनल ला के खिलाफ है और मुझे बसु साहब की तकरीर सुन कर बहुत ताज्जुब हुआ । वह फरमाते हैं कि दफा २४० के मुताबिक इस पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं कि सी० स्टेट के कांस्टीट्यूशन को किसी तरह से वह तबदील कर सके ।

श्री के० के० बसु : मर्यादित अधिकार ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरी अदब से गुजारिश है कि आप इस सारे कांस्टीट्यूशन को देखें । इसमें कनून मौजूद है कि सी० स्टेट्स के कांस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट चेंज कर सकती है । वह कांस्टीट्यूशन को क्रियेट कर सकती है और उस को कंटीन्यू कर सकती है । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट उस के कांस्टीट्यूशन को क्रियेट कर सकती है और उस को कंटीन्यू कर सकती है क्या वह उसमें तबदीली नहीं कर सकती । यह निहायत नामाकूल चीज़ होगी अगर यह कहा जाय कि पार्लियामेंट को यह अख्तियार नहीं है । मैं पूछता हूं कि फिर किस को यह अख्तियार है या किसी को भी यह अख्तियार है या नहीं । हम अपने कांस्टीट्यूशन को भी ज़ेर दफा ३६८ तबदील कर सकते हैं तो क्या यह कहा जा सकता है कि हम सी० स्टेट्स के कांस्टीट्यूशन को क्रियेट कर सकते हैं और कंटीन्यू भी कर सकते हैं । लेकिन यह पार्लियामेंट उसको तबदील करने में बिल्कुल असमर्थ है ।

एक माननीय सदस्य : आप अंग्रज़ी में बोलिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे उन लोगों के ऊपर बड़ा अफसोस है जो मेरी हिन्दी को नहीं समझ सकते । वह कांस्टीट्यूशन को क्या समझेंगे । मैं सरल हिन्दी बोलता हूं । जो हिन्दी नहीं समझ सकते हैं उन को चाहिए कि वह यहां आने से पहले कहीं जा कर हिन्दी सीखें । किसी आदमी को यह कहना कि वह हिन्दी में न बोले उस से एक ऐसी बात कहना है जो कि नैशनल नहीं कही जा सकती ।

इस वास्ते इस जिम्न को छोड़ कर मैं अब (**अन्बांतधा**) मैं इस बारे में बहुत अदब के साथ, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, मैम्बर साहिबान की खिदमत में अर्ज़ करूंग

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि अगर मैं हिन्दी में बोलता हूं तो म कोई जुर्म नहीं करता हुं । मैं जिस तरह बोलता हूं उस को आप समझने की कोशिश करें ।

मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि जो कुछ मुझे कहना है उस को समझने की कोशिश की जाये ।

मैं एक वाक़आ इस हाउस में अर्ज़ करता हूं और वह वाक़आ सुनने के क़ाबिल है । एक मुकद्दमे में दो तीन आदमियों को फांसी की सज़ा हो गई । हाई कोर्ट तक वह हुक्म क़ायम रहा । लेकिन कितने ही लोगों को मालूम था कि फ़िलवाक़ै अदालत का फैसला गलत है और वे लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं । उन में से एक बदक़िस्मत शख्स में था जिस को यह मालूम था जो जानता था कि अदालतों ने बड़ी सख्त ग़लती की है कि फांसी की सज़ा दे दी । हाई कोटकत वह सज़ा क़ायम रही । हम लोगों को यह मालूम था एक ताक़त इस देश में ऐसी है कि जो इस क़ानून से बालातर है, एक ताक़त ऐसी है जो बेइन्साफ़ी को इन्साफ़ में तबदील कर सकती है अगर उस को मालूम हो कि दर-अस्ल इन्साफ़ दूसरी तरफ़ है । चुनांचे हम ने कोशिश की और जा कर हम ने अपने प्रैसीडेंट साहब और जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी उस ज़माने में वहां जा कर कोशिश की । उन को हम ने अपने हलफ़ नामे भेजे । ज़िला के मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस को जा कर बताया और उन को कहा कि इस केस में बड़ी सख्त नाइन्साफ़ी हुई है । उन को भी यकीन हुआ । उन्होंने इस की तहक़ीक़ात की । तहक़ीक़ात करने के बाद चूंकि उस ज़माने में गवर्नर जनरल साहब थे इसलिये उन गवर्नर जनरल साहब न और हमारे देश के बड़े नेता जो उस जमाने में सप्रू साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को देख कर उन लोगों को छोड़ दिया, कतई छोड़ दिया । उन को बिल्कुल एक्विट कर दिया । ऐसे केसेज़ एक दो नहीं हैं, सैंकड़ों केसेज़ हैं । मुझे अपने प्रैसीडेंट साहब के बारे में भी मालमू है कि उन्होंने एक ऐसे केस में जिस में सख्त बेइन्साफ़ी हुई थी उस के अन्दर भी यही काम किया, उस को ठीक किया । मैं आप से कहना चाहता हूं कि जरा मुझे आ कर कोई बतलाए और कहे कि हम ने क्यों बेइन्साफ़ी को हटने दिया, क़ानून क्या कहेगा, देश की अदालत क्या कहेगी । देश की अदालत ने जब फ़ैसला दे दिया तो एग्जीक्यूटिव क्यों दख़ल देती है । तो मेरा जवाब यह है कि जस्टिस के अग़राज़ में सब से बड़ी बात इन्साफ़ करना है, वह सब चीज़ों से बालातर है । अगर किसी एक शख्स के साथ भी बेइन्साफ़ी हुई है तो हम सब का फ़र्ज़ है कि चाहे हमें कोई बुरा कहे या भला कहे, हम इन्साफ ही करें । मैं सिर्फ़ इसी एक बात से इस चीज़ को जज कराना चाहता हूं कि १३ आदमियों के साथ इन्साफ़ नहीं हुआ तो मैं बावजूद इस के कि मेरे दोस्त मेरी सब बातों पर नुक्ताचीनी करते हैं, मैं अदब से पूछना चाहता हूं, निहायत अदब से पूछना चाहता हूं कि आप सब साहबान की राय में क्या इस बेइन्साफी को क़ायम रखना चाहिय, ख्वाह वे कांग्रेस पार्टी के हों या किसी और पार्टी के हों, मुझे इस से कोई मतलब नहीं है कि यह काले हैं या पीले हैं, मैं उन की शक्ल की तरफ नहीं देखना चाहता । क्या यह सारा कांस्टीट्यूशन इसी ग़रज़ के लिये नहीं है कि बेइन्साफी को दूर किया जाय । क्या एक अंग्रेज़ ने, सब से बड़े जज ने, ब्लैकस्टन ने नहीं कहा है कि यह सारा प्रासीज्योर जो कुछ है यह एक ग़रज़ के वास्ते है कि इस से इन्साफ किया जायें !

जब एक प्रोसीज्योर इस क़िस्म का बन जाता है कि जो बेइन्साफी को परपीट्रेट करने में और परपीचुएट करने में काम देता है तो ऐसे प्रौसीज्योर को फाड़ कर फेंक देना चाहिये ।

इसलिये मैं इस सारी चीज़ को एक ही नुक्ते ख्याल से जज करना चाहता हूं । मुझे मालूम है कि जहां तक कानून का सवाल है अटार्नी जनरल साहब ने कल बहुत कुछ फरमाया । मैं ने भी उस को देखा है । मुझे कहना तो नहीं चाहिये, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि कोई शख्स साबित कर दे कि कांस्टीट्यूशनली पार्लियामेंट यह अख्तियार नहीं रखती है कि इस क़ानून को पास कर दे। मेरे सामने एक ही जवाब है कि यह बिल्कुल दुरुस्त है और पार्लियामेंट को इस का पूरा अख्तियार है । बहुत से दोस्तों ने जिन्होंने बहस की है माना है कि पार्लियामेंट को इस का अख्तियार है । जिस बात का उन को उज्र है वह यह है कि आया यह कांस्टीट्यूशनली प्रापर है या नहीं । जब हमारे प्रैसीडेंट साहब ने एक बार दस्तखत कर दिये, इलैक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी, उन को सब की सब सीट्स खाली हो गईं, तो फिर ऐसा क्यों करते हो, नये सिरे से मुर्दा को ज़िन्दा करते हो, हालांकि मैं बतलाऊंगा कि वह मुर्दा नहीं था । लेकिन इस बात पर ठंडे दिल से गौर कीजिये और मुझे बतलाइये कि दर असल अगर यह केस बेइन्साफी का है तो क्या इस पार्लियामेंट को, जिस को बेइन्साफी को दूर करने का अख्तियार है, क्या उस बेइन्साफी को दूर नहीं करना चाहिये ? मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । मैं इसका जवाब बाद में दूंगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : एक बात आप से पूछना चाहता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : फरमाइये एक नहीं, दो ।

बाबू रामनारायण सिंह : आप कहते हैं कि उन्होंने क़सूर नहीं किया । लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या पार्लियामेंट एक दो आदमियों के लिय क़ानून बनायेगी ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब आप तशरीफ़ रखिये, मैं बताता हूं । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि किस का मत है कि किसी आदमी के साथ बेइन्साफी हुई है उस के साथ इन्साफ न किया जाय । यह किसने कहा ? मिस्टर अन्थानी साहब बड़े ज़ोर से बहस कर रहे थे कि इतने आदमियों के साथ इन्साफ हुआ और दूसरों के साथ क्यों बेइन्साफी होती है । मैं कहता हूं कि कांग्रेस का एक एक मैम्बर मेरे साथ होगा और साथ देगा कि आप हम को बतलायें कि फलां केस में इन्साफ नहीं हुआ है तो उस के साथ इन्साफ किया जाय । आप अगर बतलावेंगे कि किसी के साथ बेइन्साफी हुई है तो हम उस को ठीक करेंगे । हम ने सन् १९४८ में एक ऐक्ट पास किया था । मैं भी उन लोगों में से था जिन के वास्ते डिसक्वालिफिकेशन इनकर होता था । मेरी बहन सुचेता कृपलानी पर भी वह डिसक्वालिफिकेशन इनकर होता था । क्यों ? इस वास्ते नहीं कि हम ने सरकार का रुपया खा लिया । हम आनरेरी एडवाइज़र थे । अपना वक्त खर्च कर के हम देश की सेवा करने जाते थे ।

गवर्नमेंट ने हम को आनरेरी एडवाइजर्स मुकर्रर किया, गवर्नमेंट ने डिप्टी मिनिस्टर्स मुकर्रर कर दिये उस वक्त तक कोई आफिस आफ प्राफिट करार नहीं दिया गया था ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं यह कहना चाहती हूं कि रिमूवल आफ़ डिस्क्वालिफिकेशन

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

ऐक्ट में रिमूवल आफ़ डिस्क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के नाम से नहीं किया गया था । उस में कुछ पद, सर्टेन आफिसेज, डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे से निकाले गये थे । आप के पीछे जो लोग हैं वह लोग मिसेज कृपलानी के नाम से बात करते हैं, इस में मेरा अपमान होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं सुचेता कृपलानी जी का कितना मान करता हूं उन को खुद अपने दिल में इस का एहसास नहीं है । हम लोग आप की बहुत इज्जत करते हैं । सन् १९५१ में हम ने क्या किया ? हम ने किसी आदमी का नाम नहीं रक्खा । आज क्यों १२ आदमियों के नाम रक्खे गये ? क्यों 'मेम्बर्स आफ़ दि विन्ध्य प्रदेश एसेम्बली' नहीं रक्खा । आप नाम न रखिये, मुझे कोई एतराज नहीं है । इतने मेम्बर्स हैं एसेम्बली में पार्टी का नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी ? अच्छा यह था कि जितने मेम्बर्स उस एसेम्बली के हैं उन सब के वास्ते यह होता कि जो इस पोस्ट को लेगा वह डिस्क्वालिफाई नहीं होगा । यह हमारा फर्ज़ है कि आर्टिकल १०२ के मातहत हम डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करें, जैसे कि सन् १९५१ में हम ने किया था कि ऐसे ऐसे अश्खास जो फलां फलां पोस्ट में थे हम ने हमेशा के लिय उन की डिस्क्वालिफिकेशन को हटा दिया, उसी तरह से यहां भी रखना चाहिये था । लेकिन यह नाम क्यों लिखे गये ? जिस वक्त यह मामला एलेक्शन कमिशन के रूबरू आया तो उन्होंने एक नया उसूल कायम किया उन्होंने देखा कि वह अश्खास जो कि हेड-क्वार्टर्स में नहीं थे, दूर से आते थे, उन का खर्च भी शायद पांच रुपया या उस से ज्यादा होगा, तो उन्होंने यह समझा कि दरअस्ल अगर किसी ने कुछ पैसा लिया है तो उस को डिस्क्वालिफाई किया जाय और अगर किसी ने नहीं लिया है तो उस को डिस्क्वालिफाई न किया जाय ।

श्री बी० एस० मूर्ति : एक औचित्य प्रश्न है । क्या हमें निर्वाचन आयोग के निर्णयों की चर्चा करने का अधिकार है कि उन्होंने कुछ लोगों को अनर्ह किया और कुछ लोगों को नहीं किया ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं न अब तक अपने दोस्त के प्वाइन्ट आफ आर्डर को नहीं समझा । क्या मैं यह बतलाने के काबिल नहीं हूं कि किस आइडिया से एलेक्शन कमिशन ने किस को डिस्क्वालिफाई किया और किस को नहीं किया और क्यों नहीं किया ? और क्यों यहां पर उन के नाम दर्ज हैं ।

सभापति महोदय : यह औचित्य प्रश्न नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि बहुत से आदमी ऐसे निकले जो डिस्क्वालिफाई नहीं हुए । जिन को डिस्क्वालिफिकेशन एप्लाई ही नहीं हुई । सिर्फ वही अश्खास रह गये जिन को डिस्क्वालिफिकेशन लागू हुई । इस वजह से यहां नाम देने की ज़रूरत पड़ी । अगर आप नाम से इतने नाराज हैं तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इन नामों के बजाय 'मेम्बर्स आफ दि विंध्य प्रदेश एसेम्बली' कर दें । मुझे इस में कोई एतराज नहीं है । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जिस वक्त यह सन् १९५१ का ऐक्ट बन रहा था और डा० अम्बेदकर के पास जिस वक्त ला मिनिस्ट्री का चार्ज था, मैं ने उन से कह कि आप एक उसूली ग़ल्ती कर रहे हैं । आप अगर उस जमाने की मेरी इस बिल पर दी हुई स्पीच को देखें तो आप को मालूम होगा कि मैं ने उस वक्त डा० अम्बेदकर साहब से

अर्ज़ किया था कि हम नहीं चाहते कि गवर्नमट इन्फ्लुएन्स में किसी ऐसेम्बली का मेम्बर आये। हम चाहते हैं कि इस हाउस या किसी और ऐसेम्बली के मेम्बर बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के इन्फ्लुएन्स से अलग हों। मैं ने उस वक्त अर्ज़ किया था कि आप जो उसूल कायम कर रहे हैं वह गलत काम कर रहे हैं। हमारे ला मिनिस्टर ने यह उसूल उस वक्त कायम किया कि जिस आदमी को किसी कमेटी की मेम्बरी के लिए अगर ४० रुपये से कम आमदनी है या उस को जो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है वह उस से कम होता है जो यहां पर पार्लियामेंट का मेम्बर लेता है तो वह आफिस आफ प्राफिट नहीं है। मैं ने कहा कि आप को राय दुरुस्त है लेकिन अगर कानून की राय में कुछ और समझा गया तो क्या होगा इस लिये आप इस को कानून के अन्दर ला दें और केवल एडमिनिस्ट्रेशन रूल न बनावें। यहां देश में बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, पार्लियामेंट में और दूसरे लेजिस्लेचर्स में हैं। अगर उस कमेटी की आमदनी जो हम को रोजमर्रा मिलता है उस से कम है, या जो ट्रेवेलिंग एलाउंस हम को मिलता है उस से कम है, अगर उस को आफिस आफ प्राफिट न माना जाय तो फिर क्या वजह है कि विंध्य प्रदेश की ऐसेम्बली ने यह समझा कि यह आफिस आफ प्राफिट नहीं है और गवर्नमेंट आफ इंडिया यह समझे कि यह आफिस आफ प्राफिट है और वह भी तब जब कि हमारे ला मिनिस्टर साहब ने यह उसूल कायम कर दिया था। मैं ने उसी वक्त अर्ज़ किया था कि आप की एग्जिक्यूटिव रूल के मातहत जब तक यह ला नहीं बन जाता उस वक्त तक यह चीज काबिल पाबन्दी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने फरमाया कि हम ने यह कायदा बनाया है कि कौन डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर रहा है और कौन नहीं। प्रैजिडेंट आखिर किस को अख्त्यार देंगे कि कौन यह देख कि इस पर अमल होता है या नहीं। मैं कहता हूं कि उस वक्त की प्रोसीडिंग्स उठा कर देख ली जायें कि यह दुरुस्त है या नहीं। ऐसी सूरत में विंध्य प्रदेश एसेम्बली ने अगर ऐसे आदमियों को जो वहां के मेम्बर थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसोशिएट किया तो यह दुरुस्त काम किया या गलत किया। मैं तो कहता हूं कि यह बड़ी अक्लमंदी का काम था। इस के लिये हमारे बाबू रामनारायण सिंह रोज हाउस में कहते हैं कि जो यहां के मेम्बर हैं वह जनता की सेवा करें और एड मिनिस्ट्रेशन का साथ दें। तब अगर हम वह करते ह तो क्याकोई गुनाह करते हैं। हमारे मेम्बरान के लिये पांच रुपये की तनख्वाह रख दी गई, अगर कोई बाहर जाता है और उस को कोई ट्रैवलिंग एलाउंस दिया जाता है तो क्या उस ने सरकार का पैसा खा लिया। आखिर इस में उस का क्या कुसूर है कि उस को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया।

बाबू रामनारायण सिंह : कोई कुसूर नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे दोस्त फरमाते हैं कोई कुसूर नहीं। मैं उन के एक एक लफ्ज़ से ऐग्री करता हूं। कोई कुसूर विंध्य प्रदेश की ऐसेम्बली ने नहीं किया, कोई कुसूर इस पार्लियामेंट ने नहीं किया, कोई कुसूर प्रेजीडेन्ट साहब ने नहीं किया। उन्होंने कानून के मुताबिक अमल किया। शिकायत पहुंची तो उन्होंने उस पर ऐलेक्शन कमिशन से फैसला करवाया। हमारे प्रेजीडेंट साहब ने बिल्कुल ठीक और जायज अमल किया मौजूदा कानून के मुताबिक। एलेक्शन कमिशन से भी मुझे कोई शिकायत नहीं, उन्होंने ठीक फैसला किया और जब तक कोई इस तरह का जनरल कानून हम ने आर्टिकल १०२ के मातहत नहीं बनाया था

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उन के वास्ते चारा ही क्या था ? उन्होंने बिल्कुल ठीक किया और लिख दिया कि उन लोगों को डिस्क्वालिफाई किया जाय ।

लेकिन अब मैं आप से पूछता हूं, मैं उसी उसूल पर वापस आता हूं कि अगर किसी को फांसी का हुक्म हो गया और प्रेजीडेंट ने उस को छोड़ दिया क्योंकि वह बेगुनाह है तो उस में क्या खराबी है ? एलेक्शन कमिशन और प्रेजीडेंट साहब दोनों ने ठीक किया, सब ने यही कहा है । लेकिन अगर हम बेइन्साफी को नहीं हटाते तो हम गलती करेंगे । छोटे छोटे उसूलों की फ़ज़ूल चीज़ों को जो कि इस ऐक्ट के अन्दर नहीं हैं हम अहमियत देते हैं । मैं कहता हूं कि जब गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने यह सवाल आया तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने क्या किया ? मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी दाद देता हूं कि उन्होंने ठीक किया । लेकिन मैं ईमान्दारी के साथ उन से कहता हूं कि वह गलती करती अगर वह ऐसा बिल न लाती । उन के पास दो रास्ते थे । पेश्तर इस के कि प्रेजीडेंट साहब इस मामले को एलेक्शन कमिशन के पास भेजते जो कानून था उस को निहायत खूबी के साथ पहले ही इस ऐक्ट में ला देते । जिस में वह लोग डिस्क्वालिफाई ही नहीं होते । दूसरा रास्ता यह है प्रेजीडेंट साहब के हुक्म को भी मानते, एलेक्शन कमिशन के हुक्म को भी मानते । दोनों को सर माथे पर रख कर उस ताकत से जो कि हर एक लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अन्दर मौजूद है बेइन्साफी को दूर करने के लिये, उस से फायदा उठा कर जैसा अभी मेरे बम्बई के लायक दोस्त श्री शाह ने फरमाया है, कि हर एक हाउस को यह ताकत है सारी बेइन्साफी को दूर करते । हम ने अपने कांस्टिट्यूशन के दीबाचे में पहली चीज यह कही है कि हम इस देश के अन्दर इन्साफ करेंगे । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम क्या करते ? क्या हम आंखें बन्द किये बैठे रहते और अपने आदमियों से कहते कि सारे विंध्य प्रदेश को चौपट होने दो । यह सब से बड़ी गलती होती । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक २४० आर्टिकल का सवाल है इस के अन्दर किसी किस्म की बन्दिश नहीं । हर आदमी को अखत्यार है कि वह अपने यहां की ऐसेम्बली में जो कानून चाहे पास कराये । मैं अपने दोस्त और बुजुर्ग श्री बालकृष्ण शर्मा की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दिल के खयालात का इजहार किया कि उन का यह खयाल दुरुस्त नहीं है जैसा कि मेरे एक और लायक दोस्त मूर्ति साहब ने कहा कि क्या प्रेजीडेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया जाय । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह खयाल गलत है । प्रेजीडेन्ट का इस से ज्यादा सम्मान नहीं हो सकता कि प्रेजीडेन्ट के फैसले को गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने सर पर रक्खे । मगर इस के बावजूद अगर यह दिखाई पड़े कि और कोई तरीका इन्साफ करने का नहीं सिवा इस के कि इन लोगों की मेम्बरशिप को जायज करार दिया जाय और उन्होंने यह फैसला किया कि हम इस तरीके से इन्साफ दिलाते हैं जो कि पार्लियामेंट का काम करने का आम तरीका है तो यह कहना गलत है कि हम ने प्रेजीडेंट साहब के हुक्म को नहीं माना । फिर आखिर यह कानून कहां जायेगा ? यह इस हाउस में ही नहीं रहेगा या दूसरे हाउस में ही नहीं रहेगा । यह कानून उन्हीं प्रेजीडेंट के पास जायेगा और उन के नाम व मर्जी से ही यह कानून बनेगा, वरना नहीं बन सकता । मैं कहता हूं कि यह कहना गलत है कि इस तरह से प्रेजीडेंट का फैसला सेट-ऐट-नाट किया जा रहा है । वह प्रेजीडेंट साहब का फैसला

नहीं था। इस में तो यह है कि दफा ३ के मातहत उन को इस पर मुहर लगानी पड़ती है। वह इस लिये नहीं लगानी पड़ती कि प्रेजीडेंट साहब उस को चाहते हैं। हमारे कांस्टिट्यूशन की दफा १०३ के मातहत यह करार दे दिया गया कि इस बारे में जो फैसला एलेक्शन कमिशन का होगा उस को प्रेजीडेंट को मानना पड़ेगा।

अब एक एलेक्शन कमिश्नर के फैसले को मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को और उन के कानून को रोज हाउस रद्द करता है। वह हमें यह बतलाते हैं कि तुमने यह गलती की। हम उस को दुरुस्त कर देते हैं। वह लिख कर भेजते हैं कि इस को ठीक करो। हम ठीक करते हैं। कानून बनाने का मन्सब इस हाउस का है। उन का काम उस को इंटरप्रीट करना है। अब जहां तक सवाल इंसाफ का है मैं यह अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बहस जायज़ है कि हम प्रेजीडेंट की आथारिटी को नहीं मानना चाहते या एलेक्शन कमिश्नर को हयूमिलियेट करना चाहते हैं। मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि बजाय इस के कि हाउस में यह कहा जाता कि हम ने उन के हुक्म को नहीं माना और उन को हयूमिलियेट किया, यह कहना चाहिए था कि पार्लियामेंट ने न सिर्फ उन की आथारिटी को रिकागनाइज़ किया बल्कि उन के सारे इख्तियारात की इज्जत की। अगर सरकार इस हुक्म के पहले ही इस कानून को ले आती तो यह प्रेजीडेंट की कंटेम्प्ट हो सकती थी। लेकिन सरकार ने उन के फैसले को मंजूर किया और अब हम इन्साफ करना चाहते हैं। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने अपने दोस्त कृष्णस्वामी की स्पीच सुनी जिन्होंने कांस्टीट्यूशन की दफ़ा १४ का हवाला दिया। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐडवाइजरी कांउसिल्स २६ मार्च सन् १९५२ को बनीं। और इस से पहले जो वाकयात हो गये वह दफ़ा १४ को किस तरह से इफैक्ट करते हैं। हम क्या कानून बनाते हैं। हम यह कानून बना रहे हैं कि जो ऐडवाइज़री काऊंसिल का मेम्बर होगा वह कानूनन डिस्क्वालिफाई नहीं होगा। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि इस में दफ़ा १४ के खिलाफ क्या चीज़ है। अगर हम ने यह लिखा होता कि जो कांग्रेस पार्टी के मेम्बर होंगे वे तो डिस्क्वालिफाई नहीं होंगे और बाकी सब डिस्क्वालिफाई होंगे तब तो ऐसा दफा १४ के खिलाफ होता। कानून का इतना लम्बा चौड़ा उसूल यहां पर बयान किया गया है। मैं हैरान था कि कैसे ये होशियार लोग और कानून को समझने वाले इन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना कर हमारे सामने एक हौआ पेश करना चाहते हैं।

मैं ने जिस वक्त अपने दोस्त बसु साहब की तकरीर को सुना तो मैं ने देखा कि वह कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं इस से खुश नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत बड़े ऐलीमेंट को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी स्पीच बड़े ज़ोर शोर के साथ दी लेकिन दलील को उस में कहीं भी दखल नहीं था। उन्होंने एक बड़ी अजीब दलील दी कि ला तो ठीक है लेकिन इसमें कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी नहीं है। क्योंकि पहले किसी केस में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन यह तो कोई उसूल नहीं हो सकता कि अगर किसी वक्त एक बेगुनाह आदमी को फांसी लग गई तो आयन्दा हर एक बेगुनाह आदमी को फांसी लगा दी जाय। या अगर किसी आदमी का नुकसान हो गया और वह रिड्रेस नहीं किया गया तो उसी तरह की बेइन्साफ़ी होती रहे। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उसूल ठीक नहीं है। हम को देखना यह है कि जो कानून हम बना रहे हैं वह ठीक है या नहीं। अगर किसी आदमी के साथ बेइन्साफी हो रही है तो हमारा फर्ज़ है कि हम उस को नुकसान न होने दें और उस के साथ इन्साफ करें।

मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि सारे हालात को देखते हुए मैं बिला किसी डर के यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं इस बिल को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह जस्ट है और बिल्कुल कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है और बिल्कुल कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी के मुताबिक है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि अगर डाक्टर काटजू साहब यह बिल न लाते यह समझ कर कि कहीं दूसरे लोग यह न कहें कि अपनी पार्टी वालों के लिए यह किया जा रहा है और अपनी पार्टी के १२ मेम्बरों को नये सिरे से कायम किया जा रहा है तो मैं इस को उन की कमज़ोरी समझता। मैं चाहता हूं कि किसी शख्स के साथ बेइन्साफी न हो। अगर कोई शख्स कांग्रेस का है तो इसी वजह से उस के साथ बेइन्साफी नहीं होनी चाहिए। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम को परमेश्वर को हाजिर नाजिर समझ कर फैसला करना है। मैं समझता हूं कि इसी उसूल पर इस को जज किया जाय और जो फिजूल चीज़ें हैं उन का लिहाज़ न किया जाय।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैंने कांग्रेस दल के सदस्यों माननीय गृह मंत्री और विशेष रूप से बुलाये गये महान्यायवादी की बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं पर मैं नाममात्र के लिए अनर्ह हो जाने वाले इन बारह सदस्यों की क्षति के निवारण के लिए सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक की आवश्यकता से कायल नहीं हो सका हूं। पर जब विधि में कोई त्रुटि प्रतीत हो, तो उचित विधान पारित करना संसद् का कर्तव्य ही है और जब हम देखते हैं कि बारह व्यक्ति अपने किसी अपराध के बिना ही अज्ञान से या अचानक ही अनर्ह हो गए हैं, तो यह दलबंदी का प्रश्न नहीं है और इस सदन का उत्तरदायित्व है कि उन के साथ न्याय करे। संविधान में अनुच्छेद १०२ और १०३ को रखते समय डा० अम्बेडकर का स्पष्ट उद्देश्य यही था कि कार्यपालिका संसदीय प्रजातंत्र के आड़े न आ सके। मेरे राज्य में विधान सभा का एक सदस्य एक वर्ष तक कृषि-विकास-पदाधिकारी भी बना रहा। हम ने देखा कि एक उच्च पदाधिकारी होने के साथ ही राज्य सरकार ने राजनीतिक उद्देश्य से उसे एक दल का एक प्रमुख नेता भी बना रहने दिया है। अन्त में भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने बाधा दी और उसे उस लाभ-पद से तुरन्त त्यागपत्र देना पड़ा।

मेरे विचार से कार्यपालिका ने संविधान के अनुच्छेद १०१ और १०२ के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है। इतने बहुमत वाला दल पुनर्निर्वाचन के लिये विरोधी पक्ष वालों की अपेक्षा अधिक डरेगा, यह भी कुछ तर्क नहीं है। न यह प्रजातंत्र की भावना के उल्लंघन का प्रश्न है और न वैधता का। यह संसदीय व्यवहार और रूढ़ि का प्रश्न है। इन बारह सदस्यों के अनर्ह हो जाने से मंत्रिमंडल भी पलट नहीं जाएगा, अतः सरकार की ईमानदारी में सन्देह नहीं किया जा सकता और न उस ने यह विधान सामने ला कर कोई गलती ही की है।

अनेक संसद् सदस्य भी संसद् से तथा अन्य सूत्रों से एक साथ दुहरे भत्ते लेते रहे हैं। यदि निर्वाचन-आयोग हमें अनर्ह ठहराता

है तो हम अपनी रक्षा करना चाहेंगे। वैसी ही दशा राज्य विधान-सभा के इन बेचारे सदस्यों की है।

यह ठीक है कि अवैधता को सर्वदा उचित नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरण-स्वरूप क्या हमारे राष्ट्रपति की शक्ति अनुल्लंघनीय है? संसद् सर्वप्रभुत्वसंपन्न है और उन के निर्णय को पलट सकती है। अब यही प्रश्न रह जाता है कि क्या एक बहुमत वाले दल के अनुरोध पर संसद् ऐसा विधान पारित कर सकती है और ऐसा करने पर क्या वह प्रजातंत्र का उल्लंघन नहीं करती है। पर मेरे विचार से संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली के अनुसार यह प्रजातंत्र का उल्लंघन कदापि नहीं है।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी-दक्षिण) : आज एक के बाद दूसरे विरोधी सदस्य प्रजातंत्र, सांविधानिक औचित्य और राजनीतिक नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। उन को भय है कि सरकार अपने दल वालों का पक्ष ले कर विधि की हत्या कर रही है। एक माननीय सदस्य सरकार की ईमानदारी में सन्देह करते हैं। दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार सदस्य-सदस्य में विभेद कर रही है। उधर डा० खरे कहते हैं कि यह 'हिमाकती' विधेयक है। उन की आयु को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि :

"वृद्धास्ते न विचारणीय चरिताः"

पर पंडित बालकृष्ण शर्मा को क्षणिक आवेश और भावुकता में बहते हुए देख कर मुझे अचंभा होता है।

श्री शाह के अत्युत्तम स्पष्टीकरण और पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा किए गए विधेयक के समर्थन के बाद मेरे लिए विशेष कथनीय नहीं रह जाता है। मझे यही देखना है कि इस विधेयक का लक्ष्य क्या है और पक्षपात किसे कहते हैं। विंध्य प्रदेश विधान सभा के बारह सदस्य, जिन में १० कांग्रेस के और २ समाजवादी दल के थे, जिला परामर्शदात्री परिषदों या समितियों के सदस्य नियुक्त किये गये और वहां कुछ भत्ते ग्रहण करते रहे। इस पर निर्वाचन आयोग अपनी टिप्पणी देते हुए कहता है कि "निःसंदेह अभिप्राय विधानमंडलों को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना है।" अतः संसद को यही ध्यान देना चाहिए कि विधान मंडल कार्य-पालिका के अधीन न होने पाए।

एक माननीय सदस्य : अब कुछ मिनटों के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए।

सभापति महोदय : मैं सदन को दस मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

इस के पश्चात् सदन की बैठक दस मिनट क लिये स्थगित हो गई।

एक बजे सदन की बैठक पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

श्री नामधारी (फाजिल्का-सिरसा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ने जिस वक्त शुरू में अपोजीशन के महान व्यक्ति श्री ऐन० सी० चटर्जी की स्पीच सुनी तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जो चीज़ वह फरमा रहे हैं वह सोलहों आने यथार्थ चीज़ है। और मैं ने समझा कि प्रेजीडेंट की आथारिटी को फ्लाउट किया जा रहा है। उन की हर एक दलील इतनी मुकम्मिल थी कि हमें इस बात का फख्र है कि हिन्दुस्तान में हमारे पास एक ऐसा लायक इन्सान मौजूद है। लेकिन जब मैं ने एटारनी जनरल साहब की तकरीर सुनी तो न सिर्फ उन के आरग्यूमेंट टुकड़े

[श्री नामधारी]

टुकड़े हो गये बल्कि पिसे हुए नज़र आये। और मैं ने कहा कि प्रोपेगेन्डा में तो यह कम्युनिस्टों के भी बाप हैं। यह बड़े ही लायक आदमी हैं।

मैं एक मोटी बात अर्ज़ करना चाहता हूं दलील में पीछे जाऊंगा। इस पार्लियामेंट की सारी बिल्डिंग में बिजली लगी हुई है। अगर एक जगह फ्यूज़ उड़ जाता है तो तमाम बिजली चली जाती है। अब उसका इलाज यही है कि आप उस फ्यूज को लगा दें यह इलाज नहीं है कि सारी बिजली को फिर से लगाया जाय और उस के लिए नया कंट्रैक्ट किया जाय। कहा जाता है कि मर गया। कोई भी नहीं मर गया। यह तो बिजली का फ्यूज़ उड़ा है। फ्यूज़ लगाने से फिर बिजली आ जायगी। कोई झगड़ा नहीं है। हर एक बात की नीयत को देखना पड़ता है। एक आदमी कत्ल कर देता है। अगर इंटेंशनल मरडर है तो उस का दफा ३०२ में चालान किया जाता है। नतीजा तो उस के काम का मौत होता है लेकिन सज़ा फांसी की होती है। दूसरा आदमी मोटर ऐक्सीडेंट में एक आदमी को मार देता है। नतीजा मौत होता है लेकिन सज़ा ६ महीने की होती है। एक तीसरा आदमी एक डाकू को गोली से मार देता है। नतीजा वहां भी मौत होता है लेकिन उस को गवर्नमेंट की तरफ से इनाम दिया जाता है और तमगे दिये जाते हैं। देखना यह चाहिए कि जो १२ आदमी विंध्य प्रदेश के मेम्बर हैं उन्होंने क्या कहीं से रिश्वत ली है या गवर्नमेंट का खजाना लूटा है। किस बात पर वह डिसमिस हुए हैं। मैं जो सारी बात समझता हूं वह तो मैं यही समझता हूं कि उन्होंने निहायत नेकनीयती से और शुद्ध भाव से पब्लिक की सेवा करना मंजूर किया और इसी वजह से वह डिसमिस किय गये। तो यह जो डिस्क्वालीफिकेशन है यह अन-इंटेंशनल है और गवर्नमेंट को भी इस का पता नहीं था। ऐसी हालत में उन को सेफ़-गार्ड करना गवर्नमेंट का फर्ज़ है और ऐसा न करना हिमाकत होगी। सिर्फ फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत है और बिजली आ जायेगी। यह सवाल तो कोई पैदा ही नहीं होता कि कोई मर गया है। प्रेज़ीडेंट साहब ने जो कुछ हुक्म दिया है वह भी ठीक है। लेकिन सोचना यह चाहिए कि क्या इस जगह प्रेज़ीडेंट साहब का जो आर्डर था वह इम्पैरेटिव था। मैं समझता हूं कि हमारे प्रेज़ीडेंट साहब इतनी काबिल हस्ती हैं कि अगर यह मामला उन के डिस्क्रीशन पर होता तो भी वे इस तरीके से फैसला न करते।

बाकी रही अपोज़ीशन की बात तो उन की बात यह है कि वह इस वास्ते यहां पर तशरीफ नहीं लाये हैं कि आप को सीधे रास्ते पर डालें। वह तो आप की हर बात को बिगाड़ेंगे यही उन का प्रोग्राम है और वह बड़े होशियार हैं। मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आती है। एक बड़ा होशियार आदमी था उस ने बहुत पाप किये थे। वह जानता था कि मौत के वक्त फिरिश्ते मुझे पकड़ेंगे वह किसी बड़े लायक वकील का मुंशी था उस ने अपने मरने से पहले वसीयत की कि मुझे कीं का कटा हुआ पुराना कफन दिया जाय। लिहाज़ा उस को उसी तरह कब्र में रखा गया। लेकिन उस के बच्चे इसका मतलब नहीं समझे। उन को सपनें में इस का मतलब मालूम हुआ। उसका मतलब यह था कि जिस वक्त रात को फरिश्ते उस को लेने आये और उस से पूछा कि बता तूने क्या पाप किये हैं तो उस ने कहा कि मैं तो बहुत पुराना मरा हुआ हूं मेरा

कफन भी पुराना हो गया है । तुम मुझ को धोखे में पकड़ रहे हो । अगर अपोज़ीशन वालों ने हमारे किसी आदमी पर असर डाल दिया है तो वह कुछ वक्त बाद हमारे पास फिर आ जायगा । दुनिया की कोई ताकत उस को हम से जुदा नहीं कर सकती । मेरा अर्ज़ करने का मतलब यह है कि जैसे सिविल प्रोसीड्योर कोड में प्रिस्म्पशन ऐक्ट के दफा ४ में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से मुकदमा रुक सकता है और बाद में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से फिर बहाल हो सकता है वैसा ही यह मामला है । हमारे बुज़ुर्ग ठाकुर दास जी ने फरमाया कि जब हमारे प्रेज़ीडेंट साहब यह महसूस करते हैं कि किसी बगुनाह को फांसी होने जा रही है तो वह उस को छोड़ देते हैं । इसी तरह यह बिल है । इन लोगों ने नेक नीयती से काम किया था । किसी ने कोई डिसआनेस्ट काम नहीं किया । जो कुछ किया पब्लिक की सेवा करने के लिये किया । इसलिए सिर्फ फ्यूज़ लगान की ज़रूरत है । सारी बिजली को फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने आरोप लगाया था कि हम लोग नई बात न कह कर उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं । महान्यायवादी विचारणीय विषय को समुचित रूप में सदन के समक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रश्न यह है कि क्या हम यह कार्य औचित्य पूर्वक और सांविधानिक रूप में कर रहे हैं या नहीं । संभव है, अनर्ह होने वाले सभी सदस्य कांग्रेसी न हों । मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं । वे भी सदस्य ही हैं । अनुच्छेद २४० में कुछ सिद्धान्त बता कर चरम बात कही गई है । प्रश्न यह है कि उस चरम पर पहुंचने के बाद क्या अब यह संसद् पीछे के रास्ते से उन अनर्ह सदस्यों को विधान सभा का सदस्य बना सकती है ?

संविधान का अनुच्छेद ३२७ कहता है कि "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् समय समय पर विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में जिन के अन्तर्गत निर्वाचन नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगी ।"

अतः भाग 'क', 'ख' या 'ग' किसी भी राज्य में रिक्त स्थानों में सदस्यों को वापस भेजने की उचित रीति इस अनुच्छेद के अनुसार चलना होगी, स्वतः उन को अनर्ह बना देना नहीं । क्षतिनिवारण का बहाना भी कोई बहाना नहीं है । पंडित भार्गव द्वारा रखा गया राष्ट्रपति के विशेषाधिकार वाला तर्क भी दुर्बल है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग वह गृह मंत्री के परामर्श से करता है । पता नहीं पंडित भार्गव जैसे सुयोग्य वकील यह किस प्रकार कहते हैं कि हम ने अनुच्छेद २४० के अधीन भाग 'ग' राज्यों का संविधान बनाया है, पर अनुच्छेद २४० राज्य के विधानमंडल के रूप में कृत्य करने के लिये नामनिर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशतः नामनिर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय को सृजित कर सकने या बनाए रख सकने की ही शक्ति संसद् को देता है । अतः हम ने उन के लिए संविधान बना दिया है, यह सुझाना गलत है । फिर अनुच्छेद १०२–१०३ में यह मूल बात स्पष्ट कही गई है कि किसी भी उल्लिखित अनर्हता के कारण वह व्यक्ति सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा । कहावत है कि जनता के हित

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

के लिए अभियोग कम चलने चाहिये । अतः जनता के हित के ही लिए हमें इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए । राष्ट्रपति और उन की परामर्शदात्री सरकार को कुछ शक्ति मिली हुई है । पर सरकार १२-१३ महीने से सो क्यों रही थी ? और अब जब आन्दोलन उठा है तो यह सब क्यों किया जा रहा है ? वे कांग्रेसी सदस्य हों या अन्य कोई, हमें अपने संविधान के गौरव और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिये ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १२ मई, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।